



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे (2016-17)



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2016-17

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

पृष्ठ सं०

विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	5
03 मंत्रिपरिषद्	8
04 न्याय प्रशासन	12
05 निर्वाचन	23
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	26
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	40
08 आबकारी	82
09 लोक सेवा आयोग	84
10 पुलिस एवं जेल	87
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	107
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	149
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	177
14 सूचना	188
15 कल्याण योजनाएं	190
16 श्रम और रोजगार	219
17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान	227
18 सहकारिता	241
19 ग्राम्य विकास	245
20 सिंचाई एवं बाढ़	257
21 ऊर्जा	271
22 लोक निर्माण कार्य	275
23 उद्योग	287
24 परिवहन	299
25 खाद्य	307
26 पर्यटन	313
27 वन	318
28 पशुपालन संबंधी कार्य	330
29 औद्योगिक विकास	339
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	346
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	377

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2016-2017 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई।	407
परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	408
परिशिष्ट III	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	410
परिशिष्ट IV	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	411
परिशिष्ट V	उचंत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	412

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2016-2017 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2017 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं ।

इस लेखे में-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है ।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं ।

टिप्पणियों पर चयन का मानक

बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

(अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो ।

(ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो ।

आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

(अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है ।

(ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रति शत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियाँ ।

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. विधान सभा				
दत्तमत	35,30,18	20,20,00	31,74,93	10,27,29
भारित	1,46,59	--	1,24,22	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	12,24,91	--	7,43,68	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	84,58,00	1,00,00,00	67,03,16	18,69,37
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	1,77,25,17	48,00,02	1,22,58,19	9,33,50
भारित	52,21,50	--	24,09,71	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	65,86,80	--	56,76,14	--
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	28,66,81,41	81,70,02	15,81,83,13	7,09,20
भारित	2,59,37	--	1,76,89	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं				
दत्तमत	59,38,55,86	3,94,13,49	49,18,02,89	83,60,20
भारित	40,10,55,80	20,32,23,00	37,83,87,27	52,18,68,05
08. आबकारी				
दत्तमत	23,92,11	--	18,79,33	--
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ हजार में)				
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	7,87,67	--	4,93,74	--
भारित	28,96,83	5,00,00	19,47,69	1,89,78
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	15,89,83,37	24,00,04	14,40,06,40	6,88,17
भारित	--	--	--	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	65,13,93,12	5,59,05,85	52,00,75,18	4,06,32,79
भारित	--	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	17,75,93,95	1,48,25,17	13,23,63,27	1,15,97,02
भारित	--	--	--	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	11,61,09,69	4,84,31,85	7,44,80,31	3,09,87,25
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	1,02,71,96	1,25,00	97,95,75	1,25,00
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनाएं				
दत्तमत	16,63,20,59	36,28,07	11,58,54,56	18,61,58
भारित	--	--	--	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	2,19,73,67	14,24,64	1,47,36,92	12,88,71
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. कृषि कर्म एवं अनुसंधान				
दत्तमत	8,93,88,30	1,08,33,03	6,41,85,78	1,24,41,29
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	49,91,91	6,95,24	33,22,76	1,75,48
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	11,17,99,42	7,72,10,37	6,32,34,26	7,01,84,66
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	4,61,65,46	7,72,68,09	3,61,08,45	4,76,40,56
भारित	--	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	17,66,12	4,80,64,02	17,40,97	1,66,59,30
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	7,07,65,91	16,79,57,33	6,46,00,64	13,56,01,77
भारित	7,40,00	--	6,01,77	--
23. उद्योग				
दत्तमत	2,30,57,76	1,73,51,01	1,24,17,98	1,38,84,53
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	65,26,11	70,00,03	53,56,98	25,58,65
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. खाद्य				
दत्तमत	3,77,26,58	12,07,20	2,05,60,29	22,57,87,34
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन				
दत्तमत	58,68,03	1,89,90,03	39,98,78	1,18,25,96
भारित	--	--	--	--
27. वन				
दत्तमत	6,48,38,35	1,65,15,07	4,38,30,77	1,00,68,79
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन संबंधी कार्य				
दत्तमत	2,77,68,35	11,38,51	2,03,81,39	8,31,92
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास				
दत्तमत	2,59,67,56	--	2,10,21,30	8,99,91
भारित	77,97	--	76,71	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
दत्तमत	12,41,11,21	3,25,23,18	6,98,90,43	2,07,27,58
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
दत्तमत	3,44,48,80	1,19,11,78	2,06,33,71	59,27,08
भारित	--	--	--	--
योग				
दत्तमत	2,89,78,53,42	67,98,09,04	2,14,27,68,39	67,52,94,90
भारित	41,16,22,97	20,37,23,00	38,44,67,94	52,20,57,83
कुल	3,30,94,76,39	88,35,32,04	2,52,72,36,33	1,19,73,52,73

का सारांश

कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2016-17		2015-16	
(6)	(7)	(8)	(9)	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)				(10)	(11)	(12)	(13)
1,71,66,29	--	--	22,45,80,14 (22,45,80,13,803)	(-)45.50	(+)18603.39	(-)38.88	(+)13603.80
--	--	--	--	--	--	--	--
18,69,25	71,64,07	--	--	(-)31.85	(-)37.73	(-)7.88	(-)40.18
--	--	--	--	--	--	--	--
2,10,07,58	64,46,28	--	--	(-)32.40	(-)39.03	(-)15.63	(-)41.63
--	--	--	--	--	--	--	--
73,86,96	3,06,59	--	--	(-)26.60	(-)26.93	(-)11.69	(-)42.33
--	--	--	--	--	--	--	--
49,46,26	--	--	8,99,91 (8,99,91,097)	(-)19.05	(+)100.00	(-)28.06	(+)100.00
1,26	--	--	--	(-)1.62	--	(-)1.48	--
5,42,20,78	1,17,95,60	--	--	(-)43.69	(-)36.27	(-)38.59	(-)43.10
--	--	--	--	--	--	--	--
1,38,15,09	59,84,70	--	--	(-)40.10	(-)50.24	(-)37.66	(-)52.49
--	--	--	--	--	--	--	--
75,50,85,03	23,16,02,45	--	22,70,88,31	(-)26.06	(-)0.66	(-)20.55	(+)11.55
2,71,55,03	3,10,22	--	31,86,45,05	(-)6.60	(+)156.26	(-)12.35	(-)20.88
78,22,40,06	23,19,12,67	--	54,57,33,36	(-)23.64	(+)35.52	(-)19.55	(+)1.29

विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

- (i) 17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान
- (ii) 25-खाद्य
- (iii) 29-औद्योगिक विकास

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

इसके अतिरिक्त कुल व्ययों के अंतर्गत पिछले वर्षों के ₹ 83,77 हजार आपत्तिगत बही उचंत के परिशोधन का समायोजन सम्मिलित है। आपत्तिगत बही उचंत के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित हैं, के अंतर्गत भी पूर्ण ₹ में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 2,27,70,43 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2016-17 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 3,94,76,64 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई। अनुदानों जिससे यह सम्बन्धित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाए गये हैं।

चूँकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (व्यौरेवार परिशिष्ट-II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2016-17 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है ।

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय				
	38,44,67,94	52,20,57,83	2,14,27,68,39	67,52,,94,90
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ				
	86,48	16,35,58,40
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय				
	38,44,67,94	52,20,57,83	2,14,26,81,91	51,17,36,50

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ, इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



दिनांक: 14-12-2017

स्थान: नई दिल्ली

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुदान सं० 01 विधान सभा

मुख्य लेखा शीर्ष -

राजस्व:

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	34,50,18	35,30,18	31,74,93	(-)3,55,25
पूरक	80,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

3,36,41

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,46,59	1,46,59	1,24,22	(-)22,37
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

28,17

पूंजीगत:

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	15,20,00	20,20,00	10,27,29	(-)9,92,71
पूरक	5,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

10,02,00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 3,55.25 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 3,36.41 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

(2) ₹ 3,55.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 80.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	17,29.43	15,62.31	1,67.12
2012-13	19,05.97	16,97.37	2,08.60
2013-14	20,63.47	19,73.82	89.65
2014-15	28,56.26	26,44.87	2,11.39
2015-16	31,45.81	28,64.91	2,80.90

(4) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2011-02.101.03 विधान सभा	मूल	16,10.08	13,60.78	13,41.93	(-)18.85	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 मई 2016 को ₹ 25.00 लाख, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 को ₹ 77.00 लाख, दिनांक 14 मार्च 2017 को ₹ 20.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,07.30 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	80.00				
	पुनर्वि.	(-)3,29.30				

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

राजस्वः

भारित-

(5) ₹ 22.37 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 28.17 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए ।

(6) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2011-02.101.03 विधान सभा	मूल	1,46.59	1,18.42	1,24.22	(+) 5.80	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 28.17 लाख के अभ्यर्पण यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण किए गए । अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
	पुनर्वि.	(-)28.17				

पूंजीगतः

दत्तमत-

(7) ₹ 9,92.71 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 10,02.00 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए ।

(8) ₹ 9,92.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 5,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(9) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	24,00.00	2,00.00	22,00.00
2012-13	24,60.00	2,60.00	22,00.00
2013-14	48,20.00	26,20.00	22,00.00
2014-15	1,13,10.00	93,13.22	19,96.78
2015-16	25,50.00	2,00.00	23,50.00

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-80.800.03 विधान सभा में सभामंडल, अतिथि गृहों आदि का निर्माण	मूल	20.00	18.00	(-)5.52	(-)23.52	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना में हुई बचत सूचित किया गया अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)2.00				
4059-80.800.04 गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधान सभा भवन का निर्माण	मूल	15,00.00	10,00.00	10,32.81	(+)32.81	31 मार्च 2017 को ₹ 10,00.00 लाख के अभ्यर्पण वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

अनुदान सं० 02 राज्यपाल

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2012- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,91,81	12,24,91	7,43,68	(-)4,81,23
पूरक	3,33,10			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

4,81,23

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

भारित-

(1) ₹ 4,81.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 3,33.10 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(2) विनियोग के राजस्व भारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	5,24.85	4,47.12	77.73
2012-13	5,39.30	4,75.36	63.94
2013-14	5,97.85	5,58.43	39.42
2014-15	7,40.85	6,22.05	1,18.80
2015-16	8,26.06	6,95.12	1,30.94

(3) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

अनुदान सं० 02 राज्यपाल क्रमशः...

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2012-03.090.03 अधिष्ठान व्यय	मूल	5,19.91	4,24.45	4,24.45	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,97.96 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, गाड़ियों के रखरखाव तथा पेट्रोल के क्रय आदि में हुई बचत के कारण किए गए
	पूरक	2,02.50				
	पुनर्वि.	(-)2,97.96				
2012-03.101.03 राज्यपाल	मूल	14.20	7.80	7.80	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 6.40 लाख के अभ्यर्पण वेतन तथा मशीन एवं उपकरण में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)6.40				
2012-03.103.03 कर्मचारीवर्ग	मूल	2,09.20	1,62.01	1,62.01	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,18.81 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए
	पूरक	71.62				
	पुनर्वि.	(-)1,18.81				

अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त.

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2012-03.105.03 चिकित्सा सम्बन्धी व्यय	मूल	54.35	34.53	34.53	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 35.42 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।
	पूरक	15.60				
	पुनर्वि.	(-)35.42				
2012-03.800.04 राज भवन की सवच्छता	मूल	28.15	18.68	18.68	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 17.85 लाख के अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।
	पूरक	8.38				
	पुनर्वि.	(-)17.85				

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद्

मुख्य लेखा शीर्ष -

राजस्व:

2013- मंत्रि परिषद्

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	84,58,00	84,58,00	67,03,16	(-)17,54,84
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,99,93 हजार नहीं लिए गये है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 11,00,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00,00,00	1,00,00,00	18,69,37	(-)81,30,63
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...

- (1) ₹ 17,54.84 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (2) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	62,76.44	61,45.51	1,30.93
2012-13	33,47.31	32,79.19	68.12
2013-14	48,64.61	47,51.34	1,13.27
2014-15	1,27,94.22	1,26,78.42	1,15.80
2015-16	1,57,65.67	1,16,66.47	40,99.20

- (3) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2013-00.101.03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते	5,60.00	3,03.21	(-)2,56.79	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2013-00.101.04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी	35.00	12.03	(-)22.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2013-00.105.03 मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान	मूल	60,00.00	60,00.00	49,35.67	(-)10,64.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2013-00.108.03 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का यात्रा व्यय	मूल	2,20.00	95.00	72.32	(-)22.68	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27 मार्च 2017 को ₹ 1,25.00 लाख की कमी यात्रा व्ययों में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,25.00				
2013-00.800.03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय	मूल	10,13.00	10,13.00	6,99.91	(-)3,13.09	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् समाप्त.

(4) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2013-00.104.03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च	मूल	1,30.00	2,55.00	1,95.02	(-)59.98	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27 मार्च 2017 को ₹ 1,25.00 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्यय सम्बंधित भत्तों आदि हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	1,25.00				

पूजीगत:

दत्तमत-

(5) ₹ 81,30.63 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(6) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-60.800.02 मुख्यमंत्री घोषणा से एकमुश्त धनराशि	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	18,69.37	(-)81,30.63	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2014- न्याय प्रशासन

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,69,54,60	1,77,25,17	1,22,58,19	(-)54,66,98
पूरक	7,70,57			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

54,13,85

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	52,21,50	52,21,50	24,09,71	(-)28,11,79
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

26,13,06

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 5,41 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1) |

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,81,50 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

पूँजीगत:

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	47,00,02	48,00,02	9,33,50	(-)38,66,52
पूरक	1,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

38,43,82

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 54,66.98 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 54,13.85 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके ।

(2) ₹ 54,66.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 7,70.57 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,04,45.45	76,40.13	28,05.32
2012-13	1,35,32.68	84,42.90	50,89.78
2013-14	1,36,90.04	1,00,38.36	36,51.68
2014-15	1,47,71.04	1,11,97.99	35,73.05
2015-16	1,36,99.62	1,07,32.38	29,67.24

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2014-00.102.03 उच्च न्यायालय	मूल	0.00	40.11	82.28	(+)42.17	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,37.89 लाख के अभ्यर्पण अन्य भत्तों, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं और कम्प्यूटर रखरखाव /सम्बंधित लेखन-सामग्री के क्रय में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,78.00				
	पुनर्वि.	(-)2,37.89				
2014-00.105.03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश	मूल	1,07,72.85	75,60.22	75,60.26	(+)0.04	31 मार्च 2017 को ₹ 32,12.63 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)32,12.63				

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2014-00.105.04 पारिवारिक न्यायालय	मूल	6,50.80	4,10.89	4,10.89	0.00	31 मार्च 2017 को ₹ 2,39.91 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)2,39.91				
2014-00.105.06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय	मूल	67.70	33.99	33.99	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 33.71 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)33.71				
2014-00.108.03 नियमित अधिष्ठान	मूल	16,56.51	12,56.45	12,56.51	(+)0.06	वास्तविक व्यय में वर्ष 2014-15 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 5,649 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 4,04.06 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।
	पूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)4,04.06				

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2014-00.114.03 महाधिवक्ता	मूल	9,59.31	10,41.92	10,41.92	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,22.39 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों तथा वृहत् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए।
	पूरक	2,05.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.39				
2014-00.114.04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता	मूल	10,28.40	8,49.59	8,64.00	(+14.41	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,94.23 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं में हुई बचत के कारण किए गए। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	15.42				
	पुनर्वि.	(-)1,94.23				
2014-00.800.04 लोक सेवा अधिकरण	मूल	3,48.46	2,53.82	2,53.82	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 94.64 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)94.64				

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2014-00.800.05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	मूल	2,24.40	1,47.01	1,47.01	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 77.69 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।
	पूरक	0.30				
	पुनर्वि.	(-)77.69				
2014-00.800.06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	मूल	5,40.15	3,43.01	3,43.71	(+0.70)	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,54.24 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, स्थानांतरण यात्रा व्यय तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।
	पूरक	57.10				
	पुनर्वि.	(-)2,54.24				
2014-00.800.07 महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल	मूल	24.60	14.60	14.60	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)10.00				
2014-00.800.08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण	मूल	20.00	14.74	14.74	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,05.26 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.26				

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2014-00.800.09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	मूल	4,55.71	2,34.97	2,34.47	(-)0.50	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,21.49 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, बिजली पर व्यय तथा प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।
	पूरक	0.75				
	पुनर्वि.	(-)2,21.49				

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2014-00.105.05 न्यायिक भवनों का प्रतिकर	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2013-14 से 2015- 16 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। दिनांक 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कोई निश्चित कारण सूचित नहीं किए गए।
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2014-00.800.03 राज्य विधि आयोग	मूल	0.00	1,10.00	0.00	(-)1,10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	1,10.00				

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2014-00.800.10 लोक अदालत	मूल	1,35.71	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे दिनांक 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए
	पुनर्वि.	(-)1,35.71				
2014-00.800.12 राज्य विधिक सहायता निधि	मूल	10.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे दिनांक 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए
	पुनर्वि.	(-)10.00				

राजस्व:

भारित-

(6) ₹ 28,11.79 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 26,13.06 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

(7) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	30,59.01	16,72.10	13,86.91
2012-13	28,46.98	22,59.93	5,87.05
2013-14	26,24.50	20,72.94	5,51.56
2014-15	32,27.91	24,69.00	7,58.91
2015-16	32,66.00	23,88.77	8,77.23

(8) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2014-00.102.03 उच्च न्यायालय	52,21.50	26,08.44	24,09.72	(-) 1,98.72	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 26,13.06 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मूल	(-)26,13.06				

पूजीगत:

दत्तमत-

(9) ₹ 38,66.52 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 38,43.82 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

(10) ₹ 38,66.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 1,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(11) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	39,00.00	9,59.68	29,40.32
2012-13	21,00.00	17,24.17	3,75.83
2013-14	25,00.00	17,05.67	7,94.33
2014-15	34,50.01	14,96.14	19,53.87
2015-16	72,00.00	42,94.21	29,05.79

(12) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-60.051.05 राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल निर्माण कार्य	15,00.00	9,56.20	(-)22.70	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 6,43.80 लाख के अभ्यर्पण न्यायिक कार्यों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास में बचत के कारण किए गए । अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
	मूल			
	पूरक			
	पुनर्वि.			

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.

(13) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-60.051.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	30,00.01	0.00	0.00	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कोई विशिष्ट कारण कारण सूचित नहीं किए गए।
	पुनर्वि.	(-)30,00.01				
4059-60.051.04 देहरादून में उच्च न्यायालय अतिथि गृह का निर्माण	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। दिनांक 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कोई निश्चित कारण कारण सूचित नहीं किए गए।
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2015- निर्वाचन

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	65,86,80	65,86,80	56,76,14	(-)9,10,66
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

9,17,60

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 9,10.66 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 9,17.60 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।

(2) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	33,21.73	28,51.15	4,70.58
2012-13	24,01.54	19,44.16	4,57.38
2013-14	12,32.14	11,39.29	92.85
2014-15	49,88.76	47,91.09	1,97.67
2015-16	24,01.39	22,96.90	1,04.49

अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...

(3) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2015-00.103.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	14,00.00	10,76.52	10,76.52	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 मार्च 2017 को ₹ 63.50 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,59.98 लाख की कमी अन्य व्ययों तथा कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।
	पुनर्वि.	(-)3,23.48				
2015-00.103.03 विधान सभा एवं संसद (50 प्रतिशत के0पो0)	मूल	65.50	52.61	52.61	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 12.89 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः लेखन- सामग्री एवं प्रपत्रों की छपाई, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं, प्रचार एवं बिक्री व्यय तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)12.89				

अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2015-00.106.03 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा	मूल	43,30.00	37,91.59	37,91.59	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5,38.41 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन व्यय तथा अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)5,38.41				

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2029- भू - राजस्व

2053- जिला प्रशासन

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

2075- विविध सामान्य सेवायें

2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	26,63,58,07	28,66,81,41	15,81,83,13	(-)12,84,98,28
पूरक	2,03,23,34			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	2,59,37	2,59,37	1,76,89	(-)82,48
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,91,21 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I) |

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 81,17 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

पूँजीगत:

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	80,70,02	81,70,02	7,09,20	(-)74,60,82
पूरक	1,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017) ...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 12,84,98.28 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(2) ₹ 12,84,98.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,03,23.34 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	8,87,25.60	8,43,31.89	43,93.71
2012-13	4,33,40.13	3,68,99.88	64,40.25
2013-14	24,00,35.79	9,33,62.44	14,66,73.35
2014-15	20,66,38.12	10,28,68.00	10,37,70.12
2015-16	23,64,88.40	16,95,02.56	6,69,85.84

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2029-00.001.03 भूमि अध्याप्ति- सामान्य राजस्व व्यय	मूल	6,40.21	6,43.21	3,88.36	(-)2,54.85	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	3.00				

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2029-00.001.04 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान	मूल	3,25.71	3,39.21	2,76.60	(-)62.61	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	13.50				
2029-00.101.03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	मूल	63,56.92	63,56.92	42,62.70	(-)20,94.22	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,97,944 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2029-00.103.03 जिला अधिष्ठान	मूल	1,63,98.75	1,63,74.95	1,04,93.35	(-)58,81.60	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 19,19,432 भी सम्मिलित है प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को ₹ 18.00 लाख एवं दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 5.80 लाख की कमी महंगाई भत्ता तथा अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)23.80				

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2029-00.103.04 कृषि गणना (100 प्रतिशत के0 स0)	मूल	1,19.54	1,19.54	48.86	(-)70.68	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2029-00.103.06 राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखापाल) के रिक्त पदों पर चयन/प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु व्यय	मूल	2,00.00	2,00.00	1,76.00	(-)24.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2029-00.800.03 खेतों की चकबन्दी	मूल	11,54.72	11,54.72	9,17.04	(-)2,37.68	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,381 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2053-00-093.03 कलकटरी स्थापना	मूल पूरक	1,41,47.36 53.00	1,42,00.36	1,04,14.68	(-)37,85.68	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,36,213 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2053-00.094.03 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	79.17	97.17	65.08	(-)32.09	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को ₹ 18.00 लाख की वृद्धि मानदेय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	18.00				
2053-00.101.03 मुख्य कार्यालय	मूल	4,55.62	4,57.62	3,12.78	(-)1,44.84	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2.00				
2070-00.003.03 राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल	मूल	7,05.60	7,05.60	5,47.49	(-)1,58.11	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2070-00.104.04 सतर्कता अधिष्ठान	मूल	10,78.25	10,78.25	8,09.56	(-)2,68.69	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2070-00.104.07 सेवा का अधिकार आयोग	मूल	3,38.43	3,38.43	1,59.11	(-)1,79.32	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2070-00.106.03 स्थापना (25 प्रतिशत के0 पो0)	मूल	1,14.51	1,14.51	70.01	(-)44.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2070-00.107.03 सामान्य अधिष्ठान	मूल	66,75.35	67,08.68	54,09.49	(-)12,99.19	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2016 को ₹ 33.33 लाख की वृद्धि सामान्य अधिष्ठान के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	33.33				
2070-00.107.04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत)	मूल	10,28.00	10,28.00	5,31.42	(-)4,96.58	अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2070-00.107.06 विधान सभा निर्वाचन	मूल	5,00.00	5,00.00	2,93.84	(-)2,06.16	अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2070-00.107.11 कुम्भ मेला व्यवस्था	मूल	2,11.51	1,78.18	1,32.85	(-)45.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)33.33				
2070-00.800.13 सूचना आयोग की स्थापना	मूल	4,04.81	4,04.81	2,53.05	(-)1,51,76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2245-05.800.13 आपदा राहत निधि से व्यय	मूल	3,20,00.00	5,20,00.00	3,55,67.54	(-)1,64,32.46	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00,00.00				
2245-05.901.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	(-)2,20,00.00	(-)2,20,00.00	(-)3,55,67.54	(-)1,35,67.54	₹ 3,55,67.54 लाख सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों से संचित निधि में अन्तरण किए गए

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2245-80.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	5,56,66.00	5,56,98.00	1,86,89.98	(-)3,70,08.02	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	32.00				
2245-80.800.03 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	मूल	89,00.00	88,40.00	21,66.46	(-)66,73.54	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 20 जून 2016 को ₹ 60.00 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2245-80.800.09 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य	मूल	8,00.00	8,00.00	10.08	(-)7,89.92	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2245-80.800.97 वाहय सहायत्ति योजना	मूल	11,43,00.00	11,43,00.00	7,91,53.00	(-)3,51,47.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2029-00.103.01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2070-00.105.03 राज्य आयोग एवं समितियां	मूल	7.26	7.26	0.00	(-)7.26	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2070-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	1,77.74	1,77.74	0.00	(-)1,77.74	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2245-80.001.02 विभिन्न प्रकार की कंसल्टेंसी	मूल	0.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10.00				
2245-80.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2245-80.800.05 प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2245-80.800.10 भूकम्प एवं अन्य आपदा से सुरक्षा हेतु सरकारी कार्यालयों को रेट्रोफिटिंग	मूल	0.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	50.00				

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2029-00.001.05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण	मूल	13.51	19.31	15.07	(-)4.24	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 5.80 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रयोग के लिए स्टाफ कार/ गाड़ियों के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	5.80				

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2245-80.800.08 जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	मूल	1,40.00	2,00.00	1,63.16	(-)36.84	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 जून 2016 को ₹ 60.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	60.00				

राजस्व:

भारित-

(7) ₹ 82.48 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(8) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,71.88	1,34.06	37.82
2012-13	2,33.24	1,98.15	35.09
2013-14	2,27.15	1,62.06	65.09
2014-15	2,51.39	1,45.13	1,06.26
2015-16	2,02.48	1,33.52	68.96

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

(9) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2070-00.104.05 लोक आयुक्त संगठन	मूल	2,59.37	2,59.37	1,76.89	(-) 82.48	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

पूँजीगत:

दत्तमत-

(10) ₹ 74,60.82 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(11) ₹ 74,60.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 1,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(12) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	52,00.02	27,39.94	24,60.08
2012-13	51,03.55	41,91.63	9,11.92
2013-14	27,00.00	13,21.80	13,78.20
2014-15	8,90.01	4,04.53	4,85.48
2015-16	13,30.02	8,87.53	4,42.49

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

(13) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-60.051.07 कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण	मूल	2,00.00	2,00.00	95.93	(-)1,04.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4059-60.051.09 पटवारी चौकियों का निर्माण	मूल	1,20.00	1,20.00	32.34	(-)87.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4059-60.051.12 जिला होमगार्ड कार्यालयों, जिला प्रशिक्षण केंद्र, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण	मूल	2,00.00	3,00.00	1,99.82	(-)1,00.18	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				

(14) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-60.051.14 नए प्रशासनिक इकाईयों का सृजन एवं पुनर्गठन	मूल	60,00.00	60,00.00	0.00	(-)60,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-80.800.01	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
4059-80.800.03	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय के भवन निर्माण / जीर्णोद्धार /भू- अधिग्रहण प्रतिकार						

(15) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-60.051.03	मूल	3,00.00	3,00.00	3,31.11	(+)31.11	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
तहसील हेतु आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण						

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखा शीर्ष -

राजस्व:

2030- स्टाम्प पंजीकरण

2040- बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं

2048- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन

2049- ब्याज अदायगियां

2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	59,36,33,91	59,38,55,86	49,18,02,89	(-)10,20,52,97
पूरक	2,21,95			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

20,85,20

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	40,10,55,80	40,10,55,80	37,83,87,27	(-)2,26,68,53
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,41,38 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

पूँजीगत:

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय
 4515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय
 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण
 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम
 7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
 7615- विविध उधार

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	88,13,49	3,94,13,49	83,60,20	(-)3,10,53,29
पूरक	3,06,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

2,00,00

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,32,23,00	20,32,23,00	52,18,68,05	(+)31,86,45,05
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के पूँजीगत अनुभाग में ₹ 11,14,96 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1) |

अनुदान के पूँजीगत अनुभाग में ₹ 57,44,44 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्वः

दत्तमत-

(1) ₹ 10,20,52.97 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 20,85.20 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(2) ₹ 10,20,52.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,21.95 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	22,99,67.64	17,19,58.01	5,80,09.63
2012-13	26,42,36.21	20,93,17.87	5,49,18.34
2013-14	31,86,72.68	30,70,55.25	1,16,17.43
2014-15	46,26,07.44	41,45,80.04	4,80,27.40
2015-16	52,70,37.29	44,84,23.95	7,86,13.34

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2030-01.102.03 न्यायिक स्टाम्प	मूल 1,00.00 पुनर्वि. (-)15.00	85.00	22.53	(-)62.47	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2017 को ₹ 15.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2030-02.101.03 गैर अदालती स्टाम्प	मूल 8,00.00	8,00.00	2,76.22	(-)5,23.78	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2030-02.102.03 गैर अदालती स्टाम्प	मूल	5,00.00	4,65.00	4,01.07	(-)63.93	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2017 को ₹ 35.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)35.00				
2030-03.001.03 मुख्यालय	मूल	1,41.39	1,41.39	1,17.14	(-)24.25	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2030-03.001.04 जिला व्यय	मूल	7,66.43	8,17.43	6,31.28	(-)1,86.15	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2017 को ₹ 50.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2017 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान, कम्प्यूटर का रखरखाव/सम्बंधित लेखन सामग्री का क्रय तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	51.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2040-00.001.03 अधिष्ठान	मूल	10,24.72	10,01.72	5,59.38	(-)4,42.34	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2016 को ₹ 6.00 लाख, दिनांक 28 फरवरी 2017 को ₹ 7.00 लाख तथा दिनांक 02 मार्च 2017 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य व्ययों, मशीन एवं उपकरण तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)23.00				
2040-00.001.04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान	मूल	1,83.95	1,83.95	1,12.18	(-)71.77	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 35,486 तथा ₹ 1,316 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2040-00.001.05 वाणिज्य कर सलाहकार समिति का अधिष्ठान	मूल	40.00	40.00	7.26	(-)32.74	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2040-00.101.03 वाणिज्य कर अधिष्ठान	मूल	76,25.72	75,67.72	63,81.61	(-)11,86.11	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 26,381 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2017 को ₹ 7.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02 मार्च 2017 को ₹ 1,95.00 लाख की कमी बिक्री कर अधिष्ठान के अंतर्गत अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	1,30.00				
	पुनर्वि.	(-)1,88.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2040-00.800.04 गन्ना के क्रय कर के सापेक्ष शक्कर निधि को अन्तरण	मूल	8,08.56	8,08.56	8.56	(-)8,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2045-00.103.03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय	मूल	2,11.28	2,11.28	1,34.08	(-)77.20	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2047-00.103.03 राज्य अल्प बचत संगठन	मूल	5,34.25	5,34.25	4,05.17	(-)1,29.08	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2047-00.800.03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान	मूल	1,33.80	1,40.05	1,05.87	(-)34.18	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	6.25				
2052-00.090.03 सचिवालय अधिष्ठान	मूल	1,44,05.50	1,44,05.50	1,01,26.61	(-)42,78.89	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2052-00.090.05 रेसिडेंट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान	मूल	1,73.67	1,99.37	1,32.96	(-)66.41	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	25.70				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2052-00.090.06	मूल	34.72	34.72	12.48	(-)22.24	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2052-00.090.08	मूल	20.00	20.00	8.96	(-)11.04	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2052-00.090.11	मूल	18.82	18.82	9.24	(-)9.58	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2052-00.090.12	मूल	72.55	41.47	41.47	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 31.08 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना, मितव्ययता तथा वास्तविक व्यय का होना सूचित किया गया
	पुनर्वि.	(-)31.08				
2052-00.090.13	मूल	26.00	26.00	17.29	(-)8.71	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2052-00.090.16	मूल	37.33	37.33	12.54	(-)24.79	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2052-00.091.03	मूल	34,67.00	34,67.00	29,22.30	(-)5,44.70	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2052-00.091.04 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय	मूल	1,02.20	55.41	55.41	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 46.79 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)46.79				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2052-00.091.05	मूल	84.45	84.45	43.79	(-)40.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक (सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था						
2052-00.091.07	मूल	57.54	57.54	42.80	(-)14.74	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
कार्यालय निरीक्षणालय						
2052-00.091.09	मूल	17.05	3.92	3.92	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 13.13 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा कम्प्यूटर के रखरखाव में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)13.13				
संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना						

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2052-00.091.10 वित्त आयोग निदेशालय	मूल	2,22.34	1,01.28	1,01.28	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,21.06 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)1,21.06				
2052-00.091.11 तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ	मूल	12.25	1.81	1.81	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 10.44 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)10.44				
2052-00.091.12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना	मूल	41.51	41.51	28.59	(-)12.92	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2052-00.091.15 वेतन आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना	मूल	1,31.78	1,02.10	1,02.10	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 29.68 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)29.68				
2052-00.800.04 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान	मूल	3,50.00	3,50.00	63.51	(-)2,86.49	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 60,000 भी सम्मिलित है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2054-00.095.03 कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान	मूल	4,90.46	4,90.46	4,20.78	(-)69.68	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2054-00.095.05 लेखा एवं हकदारी अधिष्ठान	मूल	3,15.28	3,15.28	1,47.13	(-)1,68.15	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2054-00.097.03 कोषागार अधिष्ठान	मूल	62,24.10	61,92.54	44,23.47	(-)17,69.07	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2016 को ₹ 27.56 लाख तथा दिनांक 22 फरवरी 2017 को ₹ 4.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता और व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)31.56				
2054-00.097.04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय	मूल	1,04.06	1,08.06	82.02	(-)26.04	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2017 को ₹ 4.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	4.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2054-00.098.05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन	मूल	2,42.20	2,42.20	1,89.31	(-)52.89	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2054-00.098.06 आडिट निदेशालय	मूल	11,79.46	11,79.46	7,26.51	(-)4,52.95	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.101.04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड	मूल	1,60,00.01	1,60,00.01	27,89.91	(-)1,32,10.10	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.104.04 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को पेंशन	मूल	50,00.00	50,00.00	17.86	(-)49,82.14	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.109.05 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ	मूल	1,05,00.01	1,05,00.01	64,29.58	(-)40,70.43	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2071-01.109.06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ	मूल	4,20,00.01	4,20,00.01	2,63,90.47	(-)1,56,09.54	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.111.03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य	मूल	5,50.00	5,50.00	2,96.56	(-)2,53.44	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.115.03 सेवानिवृत्ति/ सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ	मूल	3,15,50.03	3,15,50.03	1,93,67.50	(-)1,21,82.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.200.06 नई पेंशन योजना हेतु सीआरए को भुगतान	मूल	4,00.00	4,00.00	1,59.26	(-)2,40.74	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.800.04 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता	मूल	20,03.00	20,03.00	12,10.55	(-)7,92.45	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2071-01.800.08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता	मूल	70.00	70.00	1.53	(-)68.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.102.91 जिला योजना	मूल	5,52,99.99	5,52,99.99	3,87,70.28	(-)1,65,29.71	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3451-00.092.03 नियोजन अधिष्ठान	मूल	4,34.92	3,02.65	3,02.65	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,32.27 लाख के अभ्यर्पण वास्तविक व्यय पर आधारित थे
	पुनर्वि.	(-)1,32.27				
3451-00.092.04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन	मूल	2,00.00	45.71	45.71	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,54.29 लाख के अभ्यर्पण वास्तविक व्यय पर आधारित थे
	पुनर्वि.	(-)1,54.29				
3451-00.092.06 भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना	मूल	1,00.00	33.33	33.33	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 66.67 लाख के अभ्यर्पण वास्तविक व्यय पर आधारित थे
	पुनर्वि.	(-)66.67				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3454-02.001.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	8,19.21	1,82.99	1,82.99	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 6,36.22 लाख के अभ्यर्पण वास्तविक व्यय पर आधारित थे
	पुनर्वि.	(-)6,36.22				
3454-02.001.03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान	मूल	20,93.51	13,51.35	13,51.35	0.00	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 250 भी सम्मिलित है दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 7,42.16 लाख के अभ्यर्पण वास्तविक व्यय पर आधारित थे
	पुनर्वि.	(-)7,42.16				
3454-02.001.04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान	मूल	97.20	80.60	80.60	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 16.60 लाख के अभ्यर्पण वास्तविक व्यय पर आधारित थे
	पुनर्वि.	(-)16.60				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3604-01.191.03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	मूल	1,20,38.67	1,13,38.67	97,72.23	(-)15,66.44	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 7,00.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)7,00.00				
3604-01.192.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	84,24.60	75,24.60	37,23.82	(-)38,00.78	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 जून 2016 को ₹ 5,50.00 लाख तथा दिनांक 16 जून 2016 को ₹ 3,50.00 लाख की कमी केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त सहायक अनुदान में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3604-01.192.03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	मूल	2,88,92.81	2,88,92.81	1,22,87.05	(-)1,66,05.76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3604-01.193.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	21,06.15	21,06.15	16,36.97	(-)4,69.18	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3604-02.196.03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	मूल	1,44,46.40	1,15,35.91	94,75.50	(-)20,60.41	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 जून 2016 को ₹ 29,10.49 लाख की कमी राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन के अंतर्गत सहायक अनुदान में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)29,10.49				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3604-02.197.03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	मूल	48,15.47	48,15.47	37,77.00	(-)10,38.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3604-02.198.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	3,18,37.00	3,52,97.49	2,81,45.00	(-)71,52.49	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 जून 2016 को ₹ 34,60.49 लाख की वृद्धि योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	34,60.49				
3604-02.198.03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	मूल	1,20,38.67	1,20,38.67	94,42.60	(-)25,96.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2054-00.095.06 पी.एफ.एम.एस./ डी.बी.टी. का संचालन	मूल	0.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10.00				
2071-01.101.06 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	मूल	11,00.00	11,00.00	0.00	(-)11,00.00	वर्ष 2011-12 से 2015- 16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.101.07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2071-01.102.04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	मूल	50,00.00	50,00.00	0.00	(-)50,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.102.06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.104.06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2071-01.105.04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	मूल	45,00.00	45,00.00	0.00	(-)45,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2071-01.105.06	मूल	1,80.00	1,80.00	0.00	(-)1,80.00	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2071-01.105.07	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2071-01.106.03	मूल	80.01	80.01	0.00	(-)80.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2071-01.800.09	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3451-00.092.07 परियोजना विकास निधि का गठन	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे दिनांक 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कोई निश्चित कारण सूचित नहीं किए गए
	पुनर्वि.	(-)80.00				

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2030-01.101.03 न्यायिक स्टाम्प	मूल	50.00	49.00	1,07.81	(+)58.81	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24 मार्च 2017 को ₹ 1.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई प्रावधान में कमी किया जाना तत्पश्चात अन्तिम आधिक्य का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2040-00.001.06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना	मूल	40.00	46.00	46.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02 जून 2016 को ₹ 6.00 लाख की वृद्धि व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	6.00				
2040-00.800.08 जी.एस.टी.-एन में राज्यांश	मूल	0.00	2,55.00	2,51.66	(-)3.34	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02 मार्च 2017 को ₹ 2,05.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	50.00				
	पुनर्वि.	2,05.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2054-00.095.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	11.54	39.10	32.49	(-)6.61	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2016 को ₹ 27.56 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	27.56				
2071-01.102.03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्प्यूटेड वैल्यु आफ पेंशन)	मूल	1,60,40.00	1,60,40.00	1,91,75.77	(+)31,35.77	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2071-01.104.03 उपादान	मूल	3,25,20.00	3,25,20.00	3,69,80.60	(+)44,60.60	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2071-01.105.03 परिवार पेंशन	मूल	4,90,00.00	4,90,00.00	5,21,55.99	(+)31,55.99	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2071-01.109.03	मूल	80,00.01	80,00.01	1,56,43.35	(+)76,43.34	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं						
2071-01.109.04	मूल	0.02	0.02	1,49,63.07	(+)1,49,63.05	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधाएं						
3604-01.191.01	मूल	35,10.25	45,60.25	48,34.15	(+)2,73.90	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 जून 2016 को ₹ 3,50.00 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 7,00.00 लाख की वृद्धि योजना के क्रियान्वयन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	पुनर्वि.	10,50.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3604-01.193.03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन	मूल	72,23.20	72,23.20	74,23.25	(+)2,00.05	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

राजस्व:

भारित-

(7) ₹ 2,26,68.53 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(8) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	20,12,98.93	17,95,03.77	2,17,95.16
2012-13	22,81,07.88	22,39,63.65	41,44.23
2013-14	27,02,84.95	20,56,82.13	6,46,02.82
2014-15	30,65,07.77	24,07,63.57	6,57,44.20
2015-16	34,37,13.94	30,22,37.62	4,14,76.32

(9) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2048-00.797.03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	50,00.00	(-)50,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2049-01.101.26	मूल	3,93,44.00	3,93,44.00	3,21,88.76	(-)71,55.24	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2015-16 में प्राप्त हुआ						
2049-01.101.27	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	45,92.50	(-)2,54,07.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुआ						
2049-01.115.01	मूल	10,00.00	10,00.00	3,83.84	(-)6,16.16	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज						
2049-01.200.03	मूल	4,00.00	4,00.00	2,76.25	(-)1,23.75	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज						
2049-01.200.07	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	2,10,53.57	(-)89,46.43	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज						
2049-01.200.12	मूल	7,00.00	7,00.00	4,46.79	(-)2,53.21	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण पर ब्याज						

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2049-01.305.03 ऋण प्रबन्धन पर व्यय	मूल	5,00.00	5,00.00	4,42.43	(-)57.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2049-03.104.03 भविष्य निधि	मूल	5,62,00.00	5,62,00.00	4,99,67.57	(-)62,32.43	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2049-03.104.04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	4,50.00	4,50.00	2,08.44	(-)2,41.56	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2049-04.101.03 30प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋण पर समानुपातिक ब्याज	मूल	61,00.00	61,00.00	46,88.73	(-)14,11.27	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2049-60.101.03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0 में) अवशेष	मूल	1,75,00.00	1,75,00.00	74,96.15	(-)1,00,03.85	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2052-00.800.06 मा0 न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से संबन्धित धनराशि	मूल	4,50.00	4,50.00	82.14	(-)3,67.86	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(10) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2049-03.104.05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	3,30.00	3,30.00	0.00	(-)3,30.00	वर्ष 2007-08 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2049-03.104.06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज	मूल	5,50.00	5,50.00	0.00	(-)5,50.00	वर्ष 2004-05 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2049-03.108.03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज	मूल	3,30.00	3,30.00	0.00	(-)3,30.00	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2049.60.701.03 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2049.60.701.05 नई पेंशन योजना पर ब्याज	मूल	35,00.00	35,00.00	0.00	(-)35,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2049.60.701.06	मूल	22.00	22.00	0.00	(-)22.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

(11) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2049-01.101.18	मूल	67,89.40	67,89.40	86,09.40	(+)18,20.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2049-01.101.20	मूल	73,68.08	73,68.08	88,91.79	(+)15,23.71	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2049-01.101.22	मूल	1,21,58.00	1,21,58.00	1,64,68.50	(+)43,10.50	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2049-01.101.25 राज्य विकास ऋण, जो 2014- 15 में प्राप्त हुआ	मूल	1,95,61.00	1,95,61.00	2,65,66.00	(+)70,05.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2049-01.123.03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज	मूल	10,00,00.00	10,00,00.00	13,37,09.96	(+)3,37,09.96	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2049-01.200.11 30प्र0 राज्य बि0प0 के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बांड)	मूल	1,00.00	1,00.00	1,21.55	(+)21.55	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

पूँजीगत:

दत्तमत-

(12) ₹ 3,10,53.29 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 2,00.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(13) ₹ 3,10,53.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 3,06,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

(14) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,50,56.96	78,14.40	72,42.56
2012-13	70,51.94	49,91.73	20,60.21
2013-14	5,29,52.56	4,88,71.87	40,80.69
2014-15	3,11,26.07	2,88,16.97	23,09.10
2015-16	67,65.10	52,34.06	15,31.04

(15) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4059-80.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 2,00.00 पूरक 3,00,00.00 पुनर्वि. (-)2,00.00	3,00,00.00	54.16	(-)2,99,45.84	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,00.00 लाख के अभ्यर्पण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु भवन निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4059-80.800.03 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य)	मूल 50.00	50.00	16.00	(-)34.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-80.800.14 जिला मजिस्ट्रेट के तहत एकीकृत फंड	मूल	2,60.00	2,60.00	1,54.31	(-)1,05.69	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4515-00.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	35,65.00	35,65.00	28,40.62	(-)7,24.38	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
7615-00.200.01 विधायकों को आवास हेतु ऋण	मूल	40.00	40.00	10.00	(-)30.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(16) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4216-02.800.14 उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4216-02.800.15	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार						
4216-02.800.16	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण						
4216-02.800.17	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
रायपुर (देहरादून) में सचिवालय भवन (चरण-1) का निर्माण	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4216-02.800.19	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय का निर्माण	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
7615-00.200.02	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(17) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-80.800.13	मूल	3,00.00	3,00.00	4,50.00	(+)1,50.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4216-02.800.03 पूल्ड हाउसिंग योजना (नया कार्य)	मूल	3,00.00	8,00.00	7,53.17	(-)46.83	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2016 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	5,00.00				
4216-02.800.12 मुम्बई में उत्तराखण्ड इम्पोरियम एवं भवन की स्थापना	मूल	0.01	11,00.01	11,00.01	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2016 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि मुंबई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	5,00.00				

पूजीगत:

भारित-

(18) पूजीगत विनियोग अनुभाग के अंतर्गत ₹ 31,86,45.05 लाख का व्ययाधिक्य है |
व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

(19) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
6003-00.101.04 गैर ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान	मूल	50.00	50.00	4.06	(-)45.94	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6003-00.111.03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	3,47,61.40	(-)52,38.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6004-01.800.03 30प्र0 के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी	मूल	1,00.00	1,00.00	48.23	(-)51.77	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(20) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
6003-00.108.04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान	मूल	14,00.00	14,00.00	0.00	(-)14,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
6003-00.109.01 अन्य संस्थाओं से ऋण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6003-00.800.03 अन्य ऋण	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6004-04.800.03 सहकारिता	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6004-04.800.04 भूमि तथा जल संरक्षण	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6004-04.800.09 फसल कृषि कर्म	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं समाप्त.

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
6004-04.800.10 अन्य	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6004-07.800.03 अन्य कर्ज	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(21) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
6003-00.110.03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	मूल	8,00,00.00	8,00,00.00	40,91,27.72	(+)32,91,27.72	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 08 आबकारी

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2039- राज्य उत्पादन शुल्क

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	23,92,11	23,92,11	18,79,33	(-)5,12,78
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये:

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 5,12.78 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(2) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	10,00.26	7,76.79	2,23.47
2012-13	9,43.81	8,41.62	1,02.19
2013-14	13,06.65	11,04.77	2,01.88
2014-15	15,70.22	14,25.83	1,44.39
2015-16	20,10.39	18,19.45	1,90.94

अनुदान सं० 08 आबकारी समाप्त.

(3) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2039-00.001.03 अधिष्ठान	मूल	4,72.25	4,72.25	3,71.38	(-)1,00.87	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2017)
2039-00.001.04 भट्टियां	मूल	19,19.86	19,19.86	15,07.95	(-)4,11.91	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2051- लोक सेवा आयोग

दत्तमत -

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,87,67	7,87,67	4,93,74	(-)2,93,93
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	23,41,83	28,96,83	19,47,69	(-)9,49,14
पूरक	5,55,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

राजस्व अनुभाग में ₹ 2,04,86 हजार नहीं लिए गये है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1) ।

राजस्व अनुभाग में ₹ 1,72,26 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई ।

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग क्रमशः...

पूँजीगत:

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	5,00,00	5,00,00	1,89,78	(-)3,10,22
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 2,93.93 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(2) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2051-00.103.03 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	मूल	7,87.67	7,87.67	4,93.74	(-)2,93.93	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2017)

राजस्व:

भारित-

(3) ₹ 9,49.14 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(4) ₹ 9,49.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 5,55.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.

(5) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	9,99.17	8,53.48	1,45.69
2012-13	9,58.77	7,66.16	1,92.61
2013-14	11,27.77	8,88.17	2,39.60
2014-15	12,41.16	10,82.42	1,58.74
2015-16	13,10.51	11,46.55	1,63.96

(6) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2051-00.102.03 राज्य लोक सेवा आयोग	23,41.83	16,47.69	(-) 9,49.14	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2017)
	2,55.00			

पूँजीगत:
भारित-

(7) ₹ 3,10.22 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(8) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-60.051.03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	5,00.00	1,89.78	(-)3,10.22	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2055- पुलिस

2056- जेलें

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,75,87,83	15,89,83,37	14,40,06,40	(-)1,49,76,97
पूरक	13,95,54			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

1,06,06,85

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,24,40 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 35,54,89 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,00,04	24,00,04	6,88,17	(-)17,11,87
पूरक	4,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

4,00,00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 1,49,76.97 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,06,06.85 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

(2) ₹ 1,49,76.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 13,95.54 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	7,11,00.00	6,60,48.16	50,51.84
2012-13	8,48,30.29	8,16,13.45	32,16.84
2013-14	9,58,96.92	9,35,25.91	23,71.01
2014-15	11,97,39.80	10,96,84.91	1,00,54.89
2015-16	12,41,71.28	11,80,97.74	60,73.54

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2055-00.001.03 मुख्यालय	मूल	35,70.90	32,71.26	31,71.26	(-)1,00.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 1,67.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 4,06.14 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा मार्च 2017 में ₹ 73.50 लाख की वृद्धि की गई जो कि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थी अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,99.64				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.003.04 शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुख्य	मूल	12,16.60	10,57.52	10,57.52	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 95.00 लाख, दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 8.50 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 59.33 लाख की कमी महंगाई भत्ता में बचत के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 3.75 लाख की वृद्धि की गई जो कि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थी
	पुनर्वि.	(-)1,59.08				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2055-00.101.03 अभिसूचना अधिष्ठान	मूल	79,90.71	70,19.54	69,85.10	(-)34.44	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 3,49.27 लाख, दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 13.75 लाख, दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 25.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 6,12.75 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 29.60 लाख की वृद्धि की गई जो कि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा गाड़ियों के रखरखाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थी अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)9,71.17				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.101.04 सुरक्षा व्यवस्था	मूल	22,80.43	18,96.10	18,79.62	(-)16.48	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा गाड़ियों के रखरखाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा मार्च 2017 में ₹ 10.08 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 3,99.25 लाख की कमी की गई जो कि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)3,84.33				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2055-00.101.05 अपराधिक अन्वेषण	मूल	10.89.86	9.32.16	9.32.16	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 2.08 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 61.00 लाख, दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 10.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 88.78 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण की गई।
	पुनर्वि.	(-)1,57.70				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2055-00.104.04 इंडिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना	मूल	91,22.13	82,08.50	82,07.35	(-)1.15	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2016 को ₹ 23.67 लाख की वृद्धि गाड़ियों के रखरखाव एवं पेट्रोल के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 4,01.62 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5,35.68 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण की गई।
	पुनर्वि.	(-)9,13.63				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.109.04 रेडियों अधिष्ठान	मूल	54,45.80	42,63.93	42,57.04	(-)6.89	<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 4,49.41 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 7,43.91 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण की गई। यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 11.45 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।</p>
	पुनर्वि.	(-)11,81.87				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.109.08 यातायात व्यवस्था	मूल	55.45	36.84	36.84	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 18.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 0.61 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में में हुई बचत के कारण की गई ।
	पुनर्वि.	(-)18.61				
2055-00.113.04 चिकित्सालय व्यय	मूल	3,31.74	2,74.19	2,74.19	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 15.97 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 41.58 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन एवं महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण की गई ।
	पुनर्वि.	(-)57.55				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.115.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	19,47.01	25,29.63	21,16.65	(-)4,12.98	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 57.38 लाख के अभ्यर्पण मशीन एवं उपकरण तथा कार्यालय प्रयोगार्थ गाड़ियों के क्रय में हुई बचत के कारण किए गए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	6,40.00				
	पुनर्वि.	(-)57.38				
2055-00.116.03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला	मूल	3,41.95	2,98.73	2,98.73	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 43.22 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)43.22				
2055-00.800.03 अभियोजन अधिष्ठान	मूल	11,57.60	6,05.89	5,95.89	(-)10.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5,51.71 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)5,51.71				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.800.04 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान	मूल	66,72.88	58,37.05	57,99.85	(-)37.20	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 5,00.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 3,52.73 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण की गई। यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 16.90 लाख की वृद्धि की गई जो कि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा गाड़ियों के रखरखाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)8,35.83				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.800.10 कुम्भ मेला व्यवस्था	मूल	12,80.13	7,48.20	7,48.20	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2016 को ₹ 3,03.67 लाख, दिनांक 09 सितम्बर 2016 को ₹ 1.50 लाख, दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 2.00 एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,24.76 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)5,31.93				
2055-00.800.11 राज्य आन्दोलन कारी कल्याण परिषद्	मूल	23.75	15.09	12.84	(-)2.25	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 8.66 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)8.66				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.800.16 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान	मूल	1,92.30	1,00.84	1,00.84	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 91.46 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)91.46				
2055-00.800.17 एस0टी0एफ0	मूल	3,00.39	2,62.55	2,62.55	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 37.84 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)37.84				
2055-00.800.20 राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ	मूल	66.40	56.72	56.72	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 9.68 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)9.68				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.800.23 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल	मूल	45,67.00	29,44.16	29,43.92	(-)0.24	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2016 को ₹ 3,10.00 लाख, दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 10,02.16 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 3,50.68 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई ।
	पूरक	40.00				
	पुनर्वि.	(-)16,62.84				
2055-00.800.24 अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई	मूल	1,26.40	97.03	97.03	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 29.37 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)29.37				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2056-00.001.03 कारागार अधिष्ठान	मूल	64,26.86	65,04.86	35,68.36	(-)29,36.50	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2017 को ₹ 78.00 लाख की वृद्धि खाद्यान्न व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	78.00				
2056-00.001.04 कारागार मुख्यालय	मूल	3,08.11	2,30.11	1,24.47	(-)1,05.64	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2017 को ₹ 78.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)78.00				

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.800.15 राज्य सुरक्षा आयोग	मूल	5.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।
	पुनर्वि.	(-)5.00				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.800.27 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण कोष	मूल	10.00	0.00	0.00	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कोई निश्चित कारण सूचित नहीं किए गए
	पुनर्वि.	(-)10.00				

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.101.06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तन्त्र का सुदृढीकरण	मूल	1,98.04	2,20.76	2,20.76	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 31.03 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 8.31 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	22.72				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.104.03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी- मुख्य	मूल	1,80,09.47	1,89,32.96	1,88,18.90	(-)1,14.06	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2016 को ₹ 3,10.00 लाख, दिनांक 20 नवम्बर 2016 को ₹ 20.00 लाख एवं दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 15,01.76 लाख की वृद्धि वेतन, अन्य भत्ता तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 2,75.95 लाख, दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 10.55 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 6,22.31 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	0.54				
	पुनर्वि.	9,22.95				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2055-00.109.07 घुड़सवार पुलिस इकाई	मूल	2,84.52	3,00.23	3,00.23	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा मार्च 2017 में ₹ 35.97 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 20.26 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	15.71				
2055-00.800.21 अपराध से पीड़ित के लिए सहायता कोष	मूल	30.00	1,24.55	1,24.55	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 49.55 लाख एवं 03 मार्च 2017 को ₹ 45.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	94.55				

पूजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 17,11.87 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 4,00.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

(8) ₹ 17,11.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 4,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(9) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	59,40.01	14,79.57	44,60.44
2012-13	76,17.76	32,41.84	43,75.92
2013-14	1,05,39.66	58,50.66	46,89.00
2014-15	58,93.04	51,37.76	7,55.28
2015-16	17,80.06	14,88.82	2,91.24

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4055-00.211.03 पुलिस विभाग के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था (चालू कार्य)	1,00.00	98.73	(-)1.27	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,00.00 लाख के अभ्यर्पण पुलिस विभाग के आवासीय भवन के निर्माण में हुई बचत के कारण किए गए । अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
	3,00.00			
	(-)2,00.00			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4055-00.211.04	मूल	2,00.00	2,00.00	1,39.44	(-)60.56	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पुलिस विभाग के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण						

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4055-00.211.08 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का कोई निश्चित कारण सूचित नहीं किए गए
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4055-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	मूल	10,50.00	10,50.00	0.00	(-)10,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4055-00.800.07 पुलिस प्रशिक्षण कालेज की स्थापना	मूल	0.01	2,00.01	0.00	(-)2,00.01	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00.00				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखा शीर्ष -

राजस्व:

2202- सामान्य शिक्षा

2203- तकनीकी शिक्षा

2204- खेल कूद तथा युवा सेवाएं

2205- कला तथा संस्कृति

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	64,20,73,80	65,13,93,12	52,00,75,18	(-)13,13,17,94
पूरक	93,19,32			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

7,66,52

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 30,26,56 हजार नहीं लिए गये है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,69,23 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,99,05,54	5,59,05,85	4,06,32,79	(-)1,52,73,06
पूरक	60,00,31			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

1,50,00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (1) ₹ 13,13,17.94 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 7,66.52 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (2) ₹ 13,13,17.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 93,19.32 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	36,50,32.93	33,66,95.25	2,83,37.68
2012-13	41,97,59.45	36,29,99.72	5,67,59.73
2013-14	46,16,86.89	39,81,39.21	6,35,47.68
2014-15	52,89,84.61	45,48,36.94	7,41,47.67
2015-16	55,85,60.13	47,73,61.98	8,11,98.15

- (4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-01.001.03 निदेशालय अधिष्ठान	मूल	4,05.21	4,12.21	3,17.02	(-)95.19	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	7.00				
2202-01.101.04 बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण	मूल	21,84,13.22	21,84,78.22	17,47,29.36	(-)4,37,48.86	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	65.00				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-01.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	26,00.00	29,09.30	3,29.30	(-)25,80.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	3,09.30				
2202-01.102.07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के.जी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	88,49.03	(-)11,50.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-01.102.14 सहायता प्राप्त उ०मा० विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान	मूल	4,72.50	4,72.50	3,79.25	(-)93.25	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-01.104.03 क्षेत्रीय निरीक्षण	मूल	10,36.62	10,36.62	9,20.29	(-)1,16.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-01.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ	मूल	4,44,97.00	4,44,97.00	3,02,40.89	(-)1,42,56.11	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-01.800.08 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल	मूल	5,00.00	5,00.00	2,51.03	(-)2,48.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.001.03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान	मूल	6,38.93	6,57.73	5,62.34	(-)95.39	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	18.80				
2202-02.001.05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय	मूल	1,72.27	1,75.52	1,28.72	(-)46.80	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	3.25				
2202-02.001.06 अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय	मूल	81.53	81.53	47.77	(-)33.76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.004.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	7,99.00	8,06.00	6,98.04	(-)1,07.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	7.00				
2202-02.004.03 सीमेट की स्थापना	मूल	1,49.75	1,49.75	1,25.18	(-)24.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.101.03 क्षेत्रीय निरीक्षण	मूल	24,92.62	24,92.62	20,38.91	(-)4,53.71	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.101.04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना	मूल	21,85.44	21,85.44	17,78.09	(-)4,07.35	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.108.04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान	मूल	8,31.61	8,31.61	6,96.82	(-)1,34.79	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.109.03 बालक एवं बालिका	मूल	20,81,37.08	20,81,37.08	17,08,90.09	(-)3,72,46.99	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 4,000 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.109.08 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीकरण	मूल	37,94.66	37,94.66	33,57.35	(-)4,37.31	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.109.15	मूल	1,00.00	1,00.00	52.94	(-)47.06	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.109.16	मूल	1,35,20.00	57,45.88	38,31.57	(-)19,14.31	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2016 को ₹ 1,75.98 लाख, दिनांक 28 सितम्बर 2016 को ₹ 70,00.00 लाख एवं दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 5,98.14 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्तों तथा मानदेय में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)77,74.12				
2202-02.109.17	मूल	6,77.13	6,77.13	2,60.31	(-)4,16.82	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना (माध्यमिक)						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.110.04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	मूल	9,30.60	11,15.71	7,14.59	(-)4,01.12	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2017 को ₹ 14.89 लाख की कमी मानदेय में बचत के कारण की गई।
	पूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)14.89				
2202-02.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	86,00.03	1,04,49.71	92,83.13	(-)11,66.58	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	18,49.68				
2202-02.800.06 सैनिक स्कूल, घोड़ा खाल नैनीताल को जल सम्पूर्ति हेतु अनुदान	मूल	10.00	10.00	4.50	(-)5.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2202-02.800.07 जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों को आयोजन	मूल	28.00	28.00	13.56	(-)14.44	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.800.09 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/ संचालन विधि हेतु अनुदान	मूल	3,00.00	3,50.00	2,21.69	(-)1,28.31	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	50.00				
2202-02.800.14 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार	मूल	30.00	30.00	10.03	(-)19.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.800.18 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना	मूल	6,00.00	6,00.00	1,99.98	(-)4,00.02	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-03.001.03 उच्च शिक्षा निदेशालय	मूल	5,10.69	5,10.69	3,33.16	(-)1,77.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-03.102.07 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	मूल	4,43.00	4,43.00	3,80.00	(-)63.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-03.103.03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण	मूल	1,20,95.31	1,20,95.31	99,34.25	(-)21,61.06	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-03.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	43,50.00	43,50.00	10,93.74	(-)32,56.26	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-05.001.03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान	मूल	1,31.70	55.06	55.11	(+)0.05	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24 मार्च 2017 को ₹ 15.31 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों हेतु हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 91.95 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का उपभोग न होना बताया गया
	पुनर्वि.	(-)76.64				
2202-05.102.04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान	मूल	1,15.00	35.00	35.00	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 80.00 लाख के अभ्यर्पण वेतन, भत्ता आदि हेतु आवंटित अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)80.00				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-05.102.13 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी	मूल	60.00	28.00	28.00	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 32.00 लाख के अभ्यर्पण वेतन, भत्ता आदि हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)32.00				
2202-05.102.15 उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी	मूल	54.60	14.00	14.00	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 40.60 लाख के अभ्यर्पण वेतन, भत्ता आदि हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)40.60				
2202-05.102.18 उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी	मूल	55.00	3.00	3.00	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 52.00 लाख के अभ्यर्पण वेतन, भत्ता आदि हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)52.00				
2202-05.103.03 राजकीय संस्कृत पाठशाला	मूल	2,19.60	1,43.96	1,43.94	(-)0.02	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 75.64 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए ।
	पुनर्वि.	(-)75.64				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-05.103.04 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान	मूल	17,40.00	15,37.45	15,37.45	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2,02.55 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)2,02.55				
2202-05.103.06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण	मूल	80.30	36.47	36.46	(-)0.01	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 43.83 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)43.83				
2202-05.103.08 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन	मूल	95.92	64.85	64.81	(-)0.04	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24 मार्च 2017 को ₹ 3.37 लाख की वृद्धि यात्रा भत्ता, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा किराया के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 34.44 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः आतिथ्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)31.07				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-80.001.03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान	मूल	67.65	67.65	49.22	(-)18.43	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-80.003.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	34,59.01	34,61.91	25,95.92	(-)8,65.99	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2.90				
2202-80.003.03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)(पुरुष)	मूल	2,13.21	2,13.21	1,61.40	(-)51.81	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-80.800.04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल	मूल	16,10.17	16,27.87	13,70.83	(-)2,57.04	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2017 को ₹ 14.89 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2.81				
	पुनर्वि.	14.89				
2202-80.800.07 एयर स्कार्डन एन०सी०सी० की स्थापना	मूल	44.13	44.13	34.17	(-)9.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2203-00.001.03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय	मूल	2,11.19	2,11.19	1,59.97	(-)51.22	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2203-00.105.01 केन्द्रीय योजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	10,00.00	10,00.00	2,71.00	(-)7,29.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2203-00.105.03 सामान्य पालीटेक्निक	मूल	73,13.00	73,13.00	58,25.80	(-)14,87.20	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2203-00.112.05 इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़ दौड़ी को सहायता अनुदान (पौड़ी)	मूल	11,15.01	11,15.01	9,90.00	(-)1,25.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2203-00.800.03 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्	मूल	4,39.45	8,07.25	8,07.25	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 92.20 लाख के अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए
	पूरक	4,60.00				
	पुनर्वि.	(-)92.20				
2203-00.800.97 बाहय सहायतित परियोजनाएँ	मूल	10,07.50	10,07.50	3,50.92	(-)6,56.58	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2204-00.001.01	मूल	4,38.50	4,38.50	15.93	(-)4,22.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
2204-00.001.03	मूल	6,85.70	6,95.70	5,49.56	(-)1,46.14	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
खेलकूद निदेशालय	पूरक	10.00				
2204-00.001.04	मूल	10,32.40	10,32.40	8,05.08	(-)2,27.32	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण						
2204-00.001.06	मूल	20.00	20.00	9.13	(-)10.87	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
युवा छात्रावासों का विकास						
2204-00.001.10	मूल	0.19	60.19	40.53	(-)19.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी0आर0डी0 स्वयं सेवक	पूरक	60.00				
2204-00.001.18	मूल	1,00.00	1,00.00	59.03	(-)40.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2204-00.104.03	मूल	10.00	10.00	0.12	(-)9.88	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2204-00.104.07	मूल	64.00	64.00	14.38	(-)49.62	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2204-00.104.10	मूल	1,00.00	67.00	46.09	(-)20.91	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को ₹ 33.00 लाख की कमी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार
	पुनर्वि.	(-)33.00				
2204-00.104.13	मूल	5,00.00	5,00.00	4,27.66	(-)72.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2204-00.104.30	मूल	2,00.00	2,00.00	28.84	(-)1,71.16	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2204-00.104.31	मूल	2,00.00	2,00.00	1,28.81	(-)71.19	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
38 वें राष्ट्रीय गेम का आयोजन						
2204-00.104.32	मूल	98.00	98.00	28.66	(-)69.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पिथौरागढ़ स्पोर्ट कॉलेज						
2205-00.001.05	मूल	1,08.75	1,08.75	34.23	(-)74.52	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान						
2205-00.101.03	मूल	2,86.33	2,86.33	2,37.99	(-)48.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय						
2205-00.102.01	मूल	20.25	20.25	0.06	(-)20.19	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
2205-00.102.04	मूल	18.45	18.45	13.09	(-)5.36	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2205-00.102.12 शहीद स्मारक	मूल	21.00	16.00	13.00	(-)3.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को ₹ 5.00 लाख की कमी शहीद स्मारक के रखरखाव में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)5.00				
2205-00.102.13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन	मूल	80.00	80.00	49.94	(-)30.06	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2205-00.102.19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मात्व की वस्तुओं का क्रय	मूल	50.00	50.00	6.93	(-)43.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2205-00.102.37 स्पर्श गंगा कार्यक्रम का आयोजन	मूल	60.00	60.00	44.00	(-)16.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2205-00.102.38 बद्री-केदार उत्सव	मूल	25.00	25.00	14.88	(-)10.12	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2205-00.102.39 हरेला महोत्सव का आयोजन	मूल	1,75.00	1,75.00	32.93	(-)1,42.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2205-00.102.41	मूल	50.00	50.00	20.95	(-)29.05	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन						
2205-00.102.43	मूल	1,00.00	1,00.00	62.36	(-)37.64	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्योत्सव (राज्यस्तरीय लोक संगीत /लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन)						
2205-00.102.44	मूल	50.00	50.00	0.06	(-)49.94	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून का वार्षिक रख-रखाव/संचालन						
2205-00.102.46	मूल	1,00.00	2,00.00	25.00	(-)1,75.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उत्तराखंडी बोली-भाषा संस्थान	पूरक	1,00.00				
2205-00.103.03	मूल	1,50.70	1,50.70	1,31.36	(-)19.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पुरातत्व अधिष्ठान						
2205-00.104.03	मूल	1,77.81	1,77.81	1,41.78	(-)36.03	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य अभिलेख						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2205-00105.03 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय	मूल	2,20.35	2,20.35	1,74.98	(-)45.37	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2205-00.107.03 अधिष्ठान व्यय	मूल	1,22.11	1,22.11	97.59	(-)24.52	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-01.102.24 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति	मूल	35,00.00	40,00.00	0.00	(-)40,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	5,00.00				
2202-02.800.11 बालचर स्काउट	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.800.20	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2202-02.800.22	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2202-02.800.23	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2202-03.102.09	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-03.103.05 राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान	मूल	1,00.00	0.01	0.00	(-)0.01	वर्ष 2013-14 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24 मार्च 2017 को ₹ 99.99 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)99.99				
2202-03.103.12 एन.डी.ए. तथा आई.एम.ए. में चयनित छात्र /छात्राओं को पुरस्कार	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-03.800.09 इंजीयरिंग एवं मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत वी.पी.एल. विद्यार्थियों हेतु लेपटॉप वितरण योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-03.800.13	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-03.800.14	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-03.800.15	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-05.103.07 संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2011-12 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24 मार्च 2017 को ₹ 18.69 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 11.31 लाख की कमी योजना के संचालन न किए जाने के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2202-05.103.09 संस्कृत महाविद्यालयों को अनुदान	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2017 को ₹ 90.00 लाख एवं 31 मार्च 2017 को ₹ 10.00 लाख की कमी योजना के संचालन न होने के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2203-00.112.11	मूल	46.40	46.40	0.00	(-)46.40	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रतिष्ठित व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरस्कार						
2203-00.800.04	मूल	1,48.21	1,48.21	0.00	(-)1,48.21	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
स्किल डेवलपमेंट योजना						
2204-00.001.11	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन						
2204-00.001.16	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सीमा स्पर्श योजना						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2204-00.001.19	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा शारीरिक विकास एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण						
2204-00.104.33	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
38 वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन						
2204-00.104.34	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सपोर्ट कालेज में स्थापित आईस स्केटिंग रिंग के संचालनार्थ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सोसाईटी, देहरादून को एक मुश्त अनुदान						
2204-00.104.35	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2205-00.102.06	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2205-00.102.25	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2006-07 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2205-00.102.42	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2205-00.102.45	मूल	1,25.00	1,25.00	0.00	(-)1,25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2205-00.105.01	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.109.05 नए राजकीय हाईस्कूल की स्थापना तथा राजकीय जू0हा0 स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन	मूल	14,82.19	72,44.04	55,37.11	(-)17,06.93	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2016 को ₹ 1,61.85 लाख एवं दिनांक 28 सितम्बर 2016 को ₹ 32,50.00 की वृद्धि योजना हेतु अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	23,50.00				
	पुनर्वि.	34,11.85				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.109.07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना	मूल	13,43.77	19,41.91	18,66.25	(-)75.66	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2017 को ₹ 5,98.14 लाख की वृद्धि योजना हेतु अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	5,98.14				
2202-02.109.09 नए राजकीय इण्टर कालेजों की स्थापना तथा क्रमोन्यन	मूल	24,58.97	85,73.10	74,47.12	(-)11,25.98	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 55,388 भी सम्मिलित है प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2016 को ₹ 37,50.00 लाख एवं दिनांक 28 सितम्बर 2016 को ₹ 14.13 लाख की वृद्धि योजना हेतु अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	23,50.00				
	पुनर्वि.	37,64.13				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-03.102.06 संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना	मूल	2,25.00	3,15.00	3,15.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2017 को ₹ 90.00 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ता आदि हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	90.00				
2202-03.103.08 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना	मूल	28,05.76	29,98.55	28,35.15	(-)1,63.40	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24 मार्च 2017 को ₹ 1,92.79 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	1,92.79				
2202-03.104.03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	मूल	58,60.01	58,60.01	60,97.72	(+)2,37.71	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2204-00.001.05 युवा कल्याण परिषद् को अनुदान	मूल	40.00	40.00	50.00	(+)10.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2204-00.104.21 अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगितायें	मूल	27.00	60.00	57.83	(-)2.17	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को ₹ 33.00 लाख की वृद्धि अंतरराष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता हेतु अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	33.00				

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 1,52,73.06 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,50.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(8) ₹ 1,52,73.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 60,00.31 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

(9) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	2,87,26.66	1,20,95.41	1,66,31.25
2012-13	3,59,49.59	2,37,46.19	1,22,03.40
2013-14	4,73,62.70	2,89,07.59	1,84,55.11
2014-15	5,96,90.22	4,07,02.63	1,89,87.59
2015-16	6,08,92.44	2,38,12.18	3,70,80.26

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-01.201.03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण	मूल	1,00.00	5,00.00	66.53	(-)4,33.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	4,00.00				
4202-01.201.04 सर्वशिक्षा अभियान	मूल	25,00.00	27,00.00	16,72.88	(-)10,27.12	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00.00				
4202-01.202.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	86,00.03	73,98.09	36,65.39	(-)37,32.70	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 04 नवम्बर 2016 को ₹ 5,00.00 लाख एवं दिनांक 17 नवम्बर 2016 को ₹ 7,01.94 लाख की कमी शिक्षक-शिक्षा पुनर्गठन के अंतर्गत वृहत निर्माण कार्य में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)12,01.94				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-01.202.16	मूल	2,00.00	2,00.00	50.00	(-)1,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण						
4202-01.202.19	मूल	3,00.00	3,00.00	2,50.89	(-)49.11	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण						
4202-01.202.27	मूल	10,00.01	10,00.01	4,19.21	(-)5,80.80	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
नाबार्ड द्वारा प्रायोजित निर्माण						
4202-01.202.29	मूल	3,00.00	3,00.00	2,00.00	(-)1,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण						
4202-01.203.14	मूल	3,89.52	3,89.52	2,11.62	(-)1,77.90	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
कुमाऊँ विश्व विद्यालय						
4202-01.203.17	मूल	1,00.00	1,00.00	63.33	(-)36.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मुक्त विश्व विद्यालय						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-02.104.01	मूल	5,02.00	5,02.00	1,28.39	(-)3,73.61	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं						
4202-02.104.17	मूल	30,00.00	30,00.00	16,89.63	(-)13,10.37	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राजकीय पालीटेक्रिकों का भवन निर्माण (नाबार्ड)						
4202-02.105.13	मूल	5,00.00	5,00.00	33.33	(-)4,66.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
इंजीयरिंग कालेज सल्ट (अल्मोड़ा) का भवन निर्माण						
4202-03.102.15	मूल	1,00.00	1,00.00	62.24	(-)37.76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम						
4202-03.102.20	मूल	1,00.00	1,00.00	70.00	(-)30.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मंडप ग्राउंड का निर्माण						
4202-03.102.22	मूल	3,00.00	3,00.00	1,45.67	(-)1,54.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
त्रेपन सिंह नेगी, राजस्तरीय युवा विकास केंद्र की स्थापना						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4202-03.102.26 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन	मूल	40,00.00	30,00.00	13,33.21	(-)16,66.79	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2016 को ₹ 10,00.00 लाख की कमी निधि के उपयोग न किए जाने के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
4202-04.106.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	2,00.00	2,00.00	1,00.00	(-)1,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
4202-04.106.05 नेहरू हेरीटेज सेंटर	मूल	50.00	50.00	19.59	(-)30.41	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4202-01.202.18	मूल पुस्तकालय भवनों का निर्माण	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.202.30	मूल मॉडल स्कूलों में भवन निर्माण	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.203.07	मूल राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय आदि के भवन निर्माण	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.203.13	मूल सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन	70.00	70.00	0.00	(-)70.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.203.15	मूल दून विश्व विद्यालय	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-01.203.16 संस्कृत विश्व विद्यालय	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	31 मार्च 2017 को सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,00.00 लाख के अभ्यर्पण निधि के उपभोग न होने के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4202-01.203.18 सम्बद्ध विश्व विद्यालय	मूल	63.36	63.36	0.00	(-)63.36	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.203.19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	मूल	1,00.00	1,00.00	0.0	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.203.20 राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्रनगर एवं बाजपुर में मल्टीपरपस हाल का निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.203.23 अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय	मूल	4,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-01.205.04 भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4202-01.800.31 एन.सी.सी. प्रशिक्षण अकेडमी	मूल	0.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	2,00.00				
4202-02.104.03 राजकीय बहुधन्धी संस्थानों के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/ सुदृढीकरण	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
4202-02.104.16 पालीटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-02-105.08	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-02-105.09	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-02-105.10	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-02-105.11	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-02-105.12	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-03.102.01	मूल	65,04.01	12,94.53	0.00	(-)12,94.53	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)52,09.48				
4202-03.102.16	मूल	91.46	91.46	0.00	(-)91.46	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-03.102.24	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-04.106.03	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-04.106.07	मूल	0.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00.00				
4202-04.800.04	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(12) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-01.202.11	मूल	2,60.00	26,60.00	22,85.79	(-)3,74.21	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 04 नवम्बर 2016 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पूरक	19,00.00				
	पुनर्वि.	5,00.00				
राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/ जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण						

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-01.203.03 कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना	मूल	6,00.00	13,01.94	12,94.67	(-)7.27	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2016 को ₹ 7,01.94 लाख की वृद्धि राजकीय डिग्री कालेज के भवन निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई ।
	पुनर्वि.	7,01.94				
4202-03.102.17 अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	मूल	65,00.00	1,14,00.00	1,14,00.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2016 को ₹ 20,00.00 लाख एवं दिनांक 06 फरवरी 2017 को ₹ 29,00.00 लाख की वृद्धि अंतराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण के अंतर्गत वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई ।
	पुनर्वि.	49,00.00				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-03.102.18 विशेष आयोजनागत सहायता	मूल	1,00.00	4,09.48	4,09.48	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2016 को ₹ 3,09.48 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	3,09.48				
4202-03.102.19 हल्द्वानी स्टेडियम (फेज- 2)	मूल	50,00.00	80,00.00	80,00.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2016 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि हल्द्वानी स्टेडियम (फेज-2) के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि.	10,00.00				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2211- परिवार कल्याण

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	17,64,15,62	17,75,93,95	13,23,63,27	(-)4,52,30,68
पूरक	11,78,33			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,63,56 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,88,54 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

पूँजीगत:

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	1,08,25,17	1,48,25,17	1,15,97,02	(-)32,28,15
पूरक	40,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,30,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकार्य:

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 4,52,30.68 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(2) ₹ 4,52,30.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 11,78.33 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	8,20,10.77	6,66,12.00	1,53,98.77
2012-13	9,00,12.48	7,66,71.28	1,33,41.20
2013-14	9,69,36.42	8,53,25.76	1,16,10.66
2014-15	15,96,65.09	11,99,31.09	3,97,34.00
2015-16	17,77,51.08	12,63,49.55	5,14,01.53

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-01.001.03 मुख्यालय अधिष्ठान	मूल	13,92.73	15,12.73	11,82.49	(-)3,30.24	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2016 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	20.00				
	पुनर्वि.	1,00.00				
2210-01.001.05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन	मूल	10,50.00	10,50.00	8,15.38	(-)2,34.62	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-01.110.03 एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय	मूल	1,75,93.92	1,85,34.42	1,53,21.75	(-)32,12.67	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2016 को ₹ 8,29.93 लाख की वृद्धि मशीन एवं उपकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2016 में ₹ 20.00 लाख की कमी की गई जो कि महंगाई भत्ता में बचत के कारण थी अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,30.57				
	पुनर्वि.	8,09.93				
2210-01.110.05 क्षय रोग के रूजालय (क्लीनिक)	मूल	9,06.26	9,06.26	7,17.05	(-)1,89.21	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-01.110.10	मूल	83.37	83.37	61.17	(-)22.20	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-01.110.11 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना	मूल	1,64.55	1,65.55	1,23.55	(-)42.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	1.00				
2210-01.110.14	मूल	55.55	55.55	43.90	(-)11.65	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-01.110.15	मूल	31,90.00	31,90.00	19,23.33	(-)12,66.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-01.110.16 सचिवालय में तथा उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में रा०एलोपैथिक औषधालय की स्थापना	मूल	84.99	85.29	64.03	(-)21.26	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 0.30 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	0.30				
2210-01.110.18 मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान	मूल	19,80.50	20,08.50	14,71.18	(-)5,37.32	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2016 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	8.00				
	पुनर्वि.	20.00				
2210-01.110.19 केन्द्रीय औषधि भण्डार की स्थापना	मूल	14.60	14.60	7.70	(-)6.90	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-01.110.20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था	मूल	19.99	18.69	4.88	(-)13.81	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 1.30 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)1.30				
2210-01.110.97 वाहय सहायतित परियोजनायें	मूल	10,00.00	10,00.00	4,00.00	(-)6,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2210-01.200.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	2,11.90	2,11.90	1,15.89	(-)96.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2210-01.200.03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम	मूल	4,52.95	4,52.95	3,63.39	(-)89.56	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2210-01.200.05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण	मूल	36.28	36.28	7.00	(-)29.28	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-01.200.07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना	मूल	1,64.17	1,64.17	1,25.29	(-)38.88	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-01.800.09 भिन्न मेलों में स्वच्छता एवं चिकित्सा व्यवस्था	मूल	30.00	30.00	9.61	(-)20.39	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-01.800.14 कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु चिकित्सा व्यवस्था	मूल	14.99	14.99	7.32	(-)7.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-02.101.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	15,00.00	15,00.00	12,06.02	(-)2,93.98	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-02.101.03 निदेशन तथा प्रशासन	मूल	13,41.02	13,41.02	10,03.73	(-)3,37.29	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-02.101.04 विभागीय औषधि विनिर्माण	मूल	3,01.29	3,01.29	2,50.63	(-)50.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-02.101.08	मूल	1,37,29.65	1,37,29.65	1,13,51.24	(-)23,78.41	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-02.102.03	मूल	1,36.48	1,36.48	1,02.82	(-)33.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210.03.101.04	मूल	11.80	11.80	2.07	(-)9.73	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210.03.103.03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	मूल	67,91.88	67,41.88	58,09.05	(-)9,32.83	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2016 को ₹ 1,00.00 लाख की कमी महंगाई भत्ते में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2210.03.104.03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	मूल	71,60.13	71,80.13	54,99.37	(-)16,80.76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	20.00				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210.03.110.01	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	2,17,31.16	(-)82,68.84	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं						
2210.03.110.06	मूल	15,58.26	15,58.26	12,23.09	(-)3,35.17	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
क्षय रोग रुजालय						
2210.03.110.09	मूल	74,37.71	74,81.71	61,40.47	(-)13,41.24	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय		पूरक 44.00				
2210.03.110.10	मूल	96.47	96.47	77.03	(-)19.44	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र हेतु वैकल्पिक चिकित्सा सुविधा						
2210.03.110.11	मूल	91.58	91.58	69.25	(-)22.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
ब्लड बैंक की स्थापना						
2210.03.110.13	मूल	15,00.00	15,00.00	8,90.00	(-)6,10.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान						

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210.03.110.17 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना	मूल	82,05.76	82,20.76	64,38.28	(-)17,82.48	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	15.00				
2210.03.110.18 ग्रामीण महिला चिकित्सालयों की स्थापना	मूल	4,26.55	4,26.55	3,20.78	(-)1,05.77	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210.03.110.19 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना	मूल	1,00.01	1,00.01	87.36	(-)12.65	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-03.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	1,02.55	1,02.55	56.59	(-)45.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-03.800.03 प्रदेश में अन्धपन की रोकथाम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास	मूल	3,27.85	3,27.85	2,15.73	(-)1,12.12	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-05.105.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	1,69.58	1,69.58	29.92	(-)1,39.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-05.105.03 शिक्षा	मूल	52.00	52.00	1.24	(-)50.76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-05.105.04 मेडिकल कालेज	मूल	1,51,69.37	1,58,96.37	1,43,02.21	(-)15,94.16	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	7,27.00				
2210-05.105.05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा	मूल	8,93.09	9,18.36	2,74.00	(-)6,44.36	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	25.27				
2210-05.105.09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	मूल	1,59.06	1,59.06	84.73	(-)74.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-05.105.10 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय	मूल	3,00.00	3,00.00	40.00	(-)2,60.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-06.001.03 अधिष्ठान व्यय	मूल	1,33.65	1,33.65	89.36	(-)44.29	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-06.003.03 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	3,66.11	3,68.11	2,16.74	(-)1,51.37	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2.00				
2210-06.003.04 राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र	मूल	36.91	36.91	24.58	(-)12.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-06.101.01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	1,82.11	1,82.11	34.55	(-)1,47.56	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-06.101.03 लोक स्वास्थ्य	मूल	91,06.16	82,86.23	48,90.15	(-)33,96.08	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2016 को ₹ 8,29.93 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)8,29.93				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-06.101.04 महामारी निरोधक क्रियायें	मूल	5,76.31	5,81.31	3,17.36	(-)2,63.95	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	5.00				
2210-06.101.05 मातृ एवं शिशु कल्याण	मूल	42,37.24	42,47.73	32,71.56	(-)9,76.17	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10.49				
2210-06.101.06 कुष्ठ रोगियों की सहायता	मूल	7,65.49	7,65.49	6,21.83	(-)1,43.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-06.101.12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना	मूल	1,27.63	1,38.63	76.67	(-)61.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	11.00				
2210-06.101.99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी	मूल	48,00.00	48,00.00	35,30.39	(-)12,69.61	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-06.102.03	मूल	5,00.09	5,00.09	3,25.02	(-)1,75.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला						
2210-06.104.03	मूल	1,66.87	1,66.87	1,07.58	(-)59.29	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
ड्रग कन्ट्रोल						
2210-06.107.03	मूल	29.34	29.34	10.22	(-)19.12	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रभाग के मुख्य स्थानों पर प्रयोगशालायें						
2210-06.113.03	मूल	65.00	65.00	40.03	(-)24.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य में लोक स्वास्थ्य संबन्धी प्रचार प्रसार						
2210-06.800.01	मूल	56,29.05	56,29.05	1,56.58	(-)54,72.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें						
2210-06.800.07	मूल	88.00	88.00	72.41	(-)15.59	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण						
2210-06.800.11	मूल	2,84.72	2,84.72	92.02	(-)1,92.70	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पार्ट-टाईम दाईयों को अतिरिक्त मानदेय						

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-06.800.13	मूल	3,00.00	3,00.00	1,54.34	(-)1,45.66	वास्तविक व्यय में वर्ष 2014-15 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 4,35,000 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2211-00.001.01	मूल	10,71.23	10,71.23	6,80.41	(-)3,90.82	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2211-00.003.01	मूल	4,70.31	4,70.31	1,89.88	(-)2,80.43	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2211-00.101.01	मूल	1,13,67.96	1,13,67.96	86,43.90	(-)27,24.06	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 18,170 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2211-00.102.01	मूल	6,29.26	6,29.26	4,04.12	(-)2,25.14	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें						

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-01.110.22	मूल	13.00	13.00	0.00	(-)13.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उपचारिकाओं को फ्लोरंस नाईटिंगल अवार्ड						
2210-01.200.06	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
टेली मेडिसन की व्यवस्था						

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-01.800.06	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-01.800.07	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-01.800.13	मूल	7.00	7.00	0.00	(-)7.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-03.101.05	मूल	10.01	10.01	0.00	(-)10.01	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-05.101.06 अन्य व्यय	मूल	20,26.40	20,01.66	0.00	(-)20,01.66	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मई 2016 को ₹ 10.24 लाख तथा दिनांक 01 जून 2016 को ₹ 14.50 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)24.74				
2210-06.101.08 राज्य एडस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2210-06.101.11 राज्य रक्त संचरण परिषद्	मूल	30.03	30.03	0.00	(-)30.03	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2210-06.800.09 दैवी आपदा व दुर्घटनाओं में उपचार हेतु चिकित्सा आपदा निधि	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-06.800.14 स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पी.पी.पी. योजनाओं हेतु सुदृढीकरण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-06.800.16 स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पी.एम.यू. का अधिष्ठान	मूल	0.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

(6) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-02.101.11 आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायता	मूल	4,50.00	4,74.47	24,76.40	(+20,01.66)	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मई 2016 को ₹ 10.24 लाख एवं दिनांक 01 जून 2016 को ₹ 14.50 लाख की वृद्धि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान देने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	24.74				

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 32,28.15 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(8) ₹ 32,28.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 40,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

(9) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,28,60.20	89,59.65	39,00.55
2012-13	3,65,82.94	1,34,86.13	2,30,96.81
2013-14	3,31,16.59	1,43,02.67	1,88,13.92
2014-15	2,76,41.06	2,52,13.80	24,27.26
2015-16	1,71,76.30	1,37,96.66	33,79.64

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-01.110.17 अनावासीय भवनों में वृहद् स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण	मूल	50.00	50.00	20.00	(-)30.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक					
4210-01.110.23 बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ का निर्माण	मूल	5,00.00	6,00.00	1,00.00	(-)5,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				
4210-01.110.24 कोटद्वार में ट्रामा सेन्टर/ डायग्नोसिस सेंटर के बेस हास्पिटल का निर्माण (एस.पी.ए.)	मूल	5,00.00	6,00.00	5,23.59	(-)76.41	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				
4210-01.110.26 सिमली (चमोली) में बेस चिकित्सालय का निर्माण	मूल	3,00.00	4,00.00	2,00.00	(-)2,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-02.110.07 ऐलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण	मूल	1,80.00	0.00	80.00	(+)80.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को ₹ 89.28 लाख, दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को ₹ 9.72 लाख एवं दिनांक 30 मार्च 2017 को ₹ 81.00 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में बचत के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
4210-03.105.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	27,95.00	27,95.00	20,00.00	(-)7,95.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-03.105.13	मूल	3,00.00	3,00.00	2,20.00	(-)80.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
नर्सिंग कालेजों की स्थापना (चम्पावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी)						
4211-00.101.03	मूल	50.00	50.00	6.34	(-)43.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उपकेन्द्र के लिए भवनों का निर्माण						

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-01.110.03	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
शव विच्छेदन गृहों का निर्माण						
4210-01.110.04	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य						

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-01.110.18	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4210-01.110.25 राष्ट्रीय राज मार्गों पर ट्रोमा सेंटर का निर्माण	मूल	1,00.00	77.01	0.00	(-)77.01	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2016 को ₹ 22.99 लाख की कमी वृहत् निर्माण कार्य में बचत के कारण की गई सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)22.99				
4210-01.110.27	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4210-01.110.28	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-02.110.08	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
शव विच्छेदन गृह का निर्माण						
4210-02.110.09	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे
ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण कार्य						
4210-02.800.01	मूल	10.01	10.01	0.00	(-)10.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें						
4210-03.105.03	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना						
4210-03.105.05	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना						
4210-03.105.15	मूल	0.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़	पूरक	2,00.00				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

(12) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-02.103.03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	1,50.00	2,79.28	2,79.28	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को ₹ 89.28 लाख एवं 30 मार्च 2017 को ₹ 40.00 लाख की वृद्धि का कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता का होना बताया गया
	पुनर्वि.	1,29.28				
4210-02.104.03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	मूल	1,50.00	1,59.72	1,59.72	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को ₹ 9.72 लाख की वृद्धि का कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	9.72				
4210-02.110.10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्चीकरण	मूल	50.00	91.00	91.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 मार्च 2017 को ₹ 41.00 लाख की वृद्धि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	41.00				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-02.800.03 राज्य सेक्टर	मूल	2,60.10	4,10.10	4,50.00	(+)39.90	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार के अंतर्गत वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	50.00				
4210-03.105.04 निर्माण कार्यो हेतु भूमि अर्जन/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी 0बी0 का भुगतान	मूल	0.01	23.00	21.56	(-)1.44	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2016 को ₹ 22.99 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य के हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	22.99				

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2215- जल पूर्ति तथा सफाई

2217- शहरी विकास

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,83,08,69	11,61,09,69	7,44,80,31	(-)4,16,29,38
पूरक	78,01,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017) ...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 21,83,90 हजार नहीं लिए गये है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I) |

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 35,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4215- जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

6217- शहरी विकास के लिए ऋण

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,78,78,64	4,84,31,85	3,09,87,25	(-)1,74,44,60
पूरक	1,05,53,21			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017) ...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,80,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (1) ₹ 4,16,29.38 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (2) ₹ 4,16,29.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 78,01.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	6,49,00.76	4,13,24.43	2,35,76.33
2012-13	6,22,89.21	4,69,67.23	1,53,21.98
2013-14	8,18,46.93	5,10,21.85	3,08,25.08
2014-15	9,50,38.96	7,74,52.98	1,75,85.98
2015-16	9,30,33.01	6,30,33.75	2,99,99.26

- (4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2215-01.101.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 3,60.00 पुनर्वि. (-)41.11	3,18.89	56.77	(-)2,62.12	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2016 को ₹ 41.11 लाख की कमी राज्य परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत सहायक अनुदान में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2215-01.101.06	मूल	50.00	50.00	36.67	(-)13.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2215-01.102.01	मूल	88,18.00	77,54.27	77,54.27	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 10,63.73 लाख की कमी राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)10,63.73				
2215-01.102.07	मूल	30,00.00	30,00.00	13,30.91	(-)16,69.09	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-03.001.06	मूल	7,99.00	7,99.00	3,81.14	(-)4,17.86	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-03.001.07	मूल	2,76.90	2,76.90	1,40.99	(-)1,35.91	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2217-03.191.03	मूल	1,26,30.00	1,26,30.00	50,22.91	(-)76,07.09	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-03.800.01	मूल	4,23,04.00	4,23,04.00	1,43,31.36	(-)2,79,72.64	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-03.800.12	मूल	5,00.00	5,00.00	3,00.00	(-)2,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-04.001.01	मूल	2,42.03	2,43.03	1,94.66	(-)48.37	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1.00				
2217-80.001.03	मूल	3,19.28	3,19.28	2,20.93	(-)98.35	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-80.001.04	मूल	52.42	52.42	44.32	(-)8.10	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2217-80.800.03	मूल	3,78.00	3,78.00	76.70	(-)3,01.30	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान						
2217-80.800.04	मूल	97.25	97.25	72.93	(-)24.32	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
शहरी भूमि सीमा रोपण						
2217-80.800.07	मूल	1,32.70	1,32.70	58.52	(-)74.18	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद						

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2215-01.102.12	मूल	1,99.01	0.01	0.00	(-)0.01	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,99.00 लाख की कमी योजना के संचालन न होने के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)1,99.00				
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (50 प्रतिशत राज्य अंश)						

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2215-01.102.97	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2215-01.800.05	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2215-01.800.06	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2215-02.106.05	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2217-03.191.01	मूल	23,70.00	23,70.00	0.00	(-)23,70.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं						
2217-03.191.04	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना						
2217-03.191.05	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना						
2217-03.191.06	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति कूड़ा बीनने वालों, सपेरा आदि हेतु सहायता						
2217-03.191.97	मूल	14,00.00	14,00.00	0.00	(-)14,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
बाह्य सहायतित परियोजनाएं						

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2217-03.800.13 उत्तराखण्ड मेट्रो, नगरीय अवस्थापना एवं भवन को कारपोरेशन सीड मणि हेतु एक मुश्त अनुदान	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-80.800.09 डी.पी.आर. निर्माण	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2215-01.101.05 नगरीय पेयजल	मूल	1,20,00.00	1,41,00.00	1,57,92.19	(+)16,92.19	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	21,00.00				

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2215-01.102.08 गंगा नदी में प्रदूषण नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्य	मूल	5,00.00	5,41.11	5,41.11	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2016 को ₹ 41.11 लाख की वृद्धि गंगा नदी में प्रदूषण नियन्त्रण हेतु अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	41.11				
2215-01.190.03 जल निगम के कार्मिकों को सेवानिवृत्तिक लाभ का भुगतान	मूल	25,00.00	25,00.00	44,50.00	(+)19,50.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2215-02.105.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	1,50,00.00	1,87,62.73	1,87,62.73	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 12,62.73 लाख की वृद्धि सवच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पूरक	25,00.00				
	पुनर्वि.	12,62.73				

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 1,74,44.60 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(8) ₹ 1,74,44.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 1,05,53.21 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(9) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	96,55.00	80,78.15	15,76.85
2012-13	5,59,50.00	2,51,50.98	3,07,99.02
2013-14	4,99,65.00	2,24,57.37	2,75,07.63
2014-15	7,13,50.02	2,35,64.65	4,77,85.37
2015-16	5,36,18.42	3,79,10.87	1,57,07.55

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4217-03.191.97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं	मूल 2,28,28.63	2,28,28.63	86,57.82	(-)1,41,70.81	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4217-03.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 20,00.00	20,00.00	4,71.93	(-)15,28.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4215-01.101.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4215-01.101.04 अल्मोड़ा-सरयू- सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना (एस.पी.ए.)	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4217-03.191.03 उच्च स्तरीय शौचालय का निर्माण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2220- सूचना तथा प्रसार

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	72,71,96	1,02,71,96	97,95,75	(-)4,76,21
पूरक	30,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017) ...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,09,31 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,25,00	1,25,00	1,25,00	...
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017) ...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 4,76.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(2) ₹ 4,76.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 30,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	38,27.62	36,17.12	2,10.50
2012-13	43,13.81	41,30.14	1,83.67
2013-14	49,28.36	48,12.04	1,16.32
2014-15	53,76.81	52,75.52	1,01.29
2015-16	44,93.10	42,74.32	2,18.78

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2220-01.105.06 फिल्म परिषद की स्थापना	मूल	40.00	40.00	16.40	(-)23.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2220-60.001.03 अधिष्ठान व्यय	मूल	9,99.68	9,99.68	7,58.49	(-)2,41.19	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2220-60.102.03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	मूल	1,26.21	1,26.21	69.57	(-)56.64	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2220-60.106.03 अधिष्ठान	मूल	4,05.65	4,05.65	3,00.04	(-)1,05.61	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2220-60.109.03 अधिष्ठान	मूल	48.51	48.51	41.42	(-)7.09	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,61,32,82	16,63,20,59	11,58,54,56	(-)5,04,66,03
पूरक	2,01,87,77			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

1,45,55,72

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,05,99 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,19,57 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

पूँजीगत:

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4250- अन्य सामाजिक सेवाएं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	36,28,07	36,28,07	18,61,58	(-)17,66,49
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

1,50,27

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,15,88 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 5,04,66.03 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,45,55.72 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(2) ₹ 5,04,66.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,01,87.77 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	6,47,07.12	4,49,62.43	1,97,44.69
2012-13	7,08,88.22	5,16,92.44	1,91,95.78
2013-14	7,92,79.64	6,14,68.21	1,78,11.43
2014-15	14,09,95.80	10,67,39.78	3,42,56.02
2015-16	14,89,12.59	10,92,23.98	3,96,88.61

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-01.001.03	मूल	3,06.28	3,06.28	2,52.27	(-)54.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-01.001.05	मूल	13,10.49	13,10.49	10,61.64	(-)2,48.85	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-01.001.06	मूल	82.00	82.00	12.42	(-)69.58	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-03.001.04	मूल	95.57	95.57	67.86	(-)27.71	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-03.102.01	मूल	52,77.00	52,77.00	45.37	(-)52,31.63	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-03.277.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	24,02.52	24,02.52	21.34	(-)23,81.18	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-03.800.06 अति पिछड़ा कल्याण समिति का गठन	मूल	20.41	20.41	3.70	(-)16.71	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-03.800.07 गोरखा कल्याण परिषद	मूल	20.00	20.00	7.17	(-)12.83	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.101.01 विकलांगों के लिए विशेष सेवा योजना कार्यालय	मूल	32.72	42.72	10.00	(-)32.72	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10.00				
2235-02.101.04 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	1,25.56	1,25.56	81.17	(-)44.39	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.101.07 विकलांग युवक/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन	मूल	50.00	50.00	28.53	(-)21.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.101.09 विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां / छात्र वेतन	मूल	55.00	55.00	3.68	(-)51.32	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.101.11 विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम	मूल	25.47	25.47	19.87	(-)5.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.101.20 नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के भरण-पोषण हेतु अनुदान	मूल	62,50.01	90,93.95	59,90.88	(-)31,03.07	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2017 को ₹ 1,56.06 लाख की कमी नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के भरण-पोषण हेतु सहायक अनुदान में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	30,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,56.06				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	2,48,92.08	1,69,76.84	1,32,39.56	(-)37,37.28	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,93,242 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 79,15.24 लाख के अभ्यर्पण विभाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 25 प्रतिशत पद रिक्त रहने तथा मानक के अनुसार भारत सरकार से निधि स्वीकृत न होने के कारण किए गए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)79,15.24				
2235-02.102.03 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि।	मूल	2,41,08.92	1,89,60.50	1,89,60.50	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 51,48.42 लाख के अभ्यर्पण मानदेय तथा सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)51,48.42				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.102.04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	मूल	1,96.88	2,01.77	1,73.20	(-)28.57	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2017 को ₹ 0.80 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 02 मार्च 2017 को ₹ 1.02 लाख की कमी बिक्री कर अधिष्ठान के अंतर्गत किराया, कर एवं अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	5.11				
	पुनर्वि.	(-)0.22				
2235-02.102.05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	मूल	71.59	74.81	27.85	(-)46.96	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2017 को ₹ 3.22 लाख की वृद्धि मानदेय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	3.22				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.102.07 संस्थाओं/गृहों का संचालन	मूल	8,82.94	8,81.34	5,99.21	(-)2,82.13	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2017 को ₹ 1.60 लाख की कमी किराया, कर एवं अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)1.60				
2235-02.102.14 पोषक मापक/ स्तनपान योजना (राज्य योजना)	मूल	12.00	6.42	6.42	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5.58 लाख के अभ्यर्पण पोषक मापक योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)5.58				
2235-02.102.15 निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था	मूल	1,14.20	46.93	46.92	(-)0.01	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 67.27 लाख के अभ्यर्पण 10 प्रतिशत स्वीकृत पदों के रिक्त रहने के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)67.27				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.102.16 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (100 प्रतिशत राज्य योजना)	मूल	4,00.00	15.94	15.94	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 3,84.06 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)3,84.06				
2235-02.103.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	3,00.00	1,41.61	1,41.61	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,58.39 लाख के अभ्यर्पण भारत सरकार से निधि स्वीकृत न होने के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)1,58.39				
2235-02.103.09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना	मूल	16.00	15.20	3.00	(-)12.20	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2017 को ₹ 0.80 लाख की कमी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा स्थानांतरण यात्रा व्यय में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)0.80				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.103.10 राज्य महिला आयोग की स्थापना	मूल	1,62.32	1,06.03	1,07.58	(+)1.55	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 56.29 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)56.29				
2235-02.103.12 गौरा देवी कन्या धन योजना	मूल	1,37,50.00	1,37,50.00	52,01.50	(-)85,48.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.103.13 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	मूल	50.00	35.50	35.50	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 14.50 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)14.50				
2235-02.103.14 मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	मूल	1,62.31	1,62.31	55.50	(-)1,06.81	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.103.16	मूल	20.00	20.00	3.46	(-)16.54	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किए एवं अन्तर्दासियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता						
2235-02.103.18	मूल	25.00	14.69	14.69	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 10.31 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृत पदों के रिक्त रहने के कारण किए गए
कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टाफ की व्यवस्था	पुनर्वि.	(-)10.31				
2235-02.103.19	मूल	90.70	90.10	43.68	(-)46.42	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2017 को ₹ 0.60 लाख की कमी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा स्थानांतरण यात्रा व्यय में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
परिवीक्षा सेवा मुख्यालय	पुनर्वि.	(-)0.60				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.103.22 परित्यक्ता महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान	मूल	50.00	50.00	4.50	(-)45.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.103.23 निर्भय योजना	मूल	1,00.00	46.83	46.43	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 53.17 लाख के अभ्यर्पण निर्भया योजना में स्वीकृत पदों के रिक्त रहने के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)53.17				
2235-02.103.26 राज्य महिला कल्याण सशक्तिकरण परिषद	मूल	20.00	25.76	7.70	(-)18.06	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 12.30 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृत पदों के रिक्त रहने के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	18.06				
	पुनर्वि.	(-)12.30				
2235-02.104.03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह	मूल	46.84	46.84	15.25	(-)31.59	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.104.04 भिक्षावृत्ति का निवारण	मूल	96.10	96.10	48.82	(-)47.28	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.107.03 मान्यता प्राप्त शिक्षा प्राबिधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान	मूल	22.00	22.00	0.04	(-)21.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.107.06 अनार्थों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों / संस्थाओं को सहायता	मूल	10.00	10.00	2.83	(-)7.17	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.800.09 समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति	मूल	20.00	20.00	6.47	(-)13.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.800.13 मा० मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (समाज कल्याण)	मूल	20.51	25.11	9.58	(-)15.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	4.60				
2235-60.107.03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन	मूल	15,00.00	9,31.35	8,84.15	(-)47.20	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5,68.65 लाख के अभ्यर्पण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)5,68.65				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-60.200.03 सैनिक कल्याण	मूल	33,24.82	33,24.82	28,33.93	(-)4,90.89	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,893 भी सम्मिलित है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2235-60.200.08 राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निः शुल्क यात्रा	मूल	1,50.00	1,50.00	1,27.43	(-)22.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2235-60.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	67,20.00	67,20.00	50,08.04	(-)17,11.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2250-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	40,20.01	36,51.76	26,25.62	(-)10,26.14	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 जून 2016 को ₹ 3,68.25 लाख की कमी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति/ वजीफा एवं सहायक अनुदान में बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)3,68.25				
2250-00.800.03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान	मूल	65.00	65.00	40.00	(-)25.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2250-00.800.04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान	मूल	86.73	75.75	56.70	(-)19.05	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 10.98 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)10.98				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2250-00.800.16 अल्प संख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति	मूल	11,11.00	11,10.70	1,03.37	(-)10,07.33	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 0.30 लाख के अभ्यर्पण छात्रवृत्ति एवं अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)0.30				
2250-00.800.17 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	मूल	10.00	10.00	2.20	(-)7.80	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2250-00.800.18 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय	मूल	1,15.78	1,09.09	48.91	(-)60.18	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 6.69 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)6.69				
2250-00.800.21 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान	मूल	93.19	84.91	69.63	(-)15.28	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 8.28 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)8.28				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2251-00.092.04 मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता	मूल	7.00	2.80	1.40	(-)1.40	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 4.20 लाख के अभ्यर्पण किए गए। अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किए गए।
	पुनर्वि.	(-)4.20				
2251-00.092.05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान	मूल	30.00	0.06	0.06	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 29.94 लाख का अभ्यर्पण किया गया। अभ्यर्पण का कोई विशेष कारण सूचित नहीं किए गए।
	पुनर्वि.	(-)29.94				

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-01.800.04 उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	मूल	20.00				
2225-03.800.08 शहीद उधमसिंह कम्बोज छात्रवृत्ति हेतु कार्पस फण्ड	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	मूल	20.00				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-03.800.09 बाबा साहेब फुले योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-03.800.11 राजा सुहेल देव छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.101.13 विकलांग जनों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.102.10 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.102.11 अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (राज्य योजना)	मूल	10.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)10.00				
2235-02.103.17 महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.104.07 स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से पार्षों में वृद्ध एवं अशक्त आश्रम का संचालन	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	50,10.00	50,10.00	0.00	(-)50,10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.800.06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.800.07 योजनाओं का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.800.08 वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.800.14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन	मूल	21.00	21.00	0.00	(-)21.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-60.102.07 पर्वतीय क्षेत्र में साठ वर्ष से उपर के निवासरत पुरोहितों हेतु पेंशन योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-60.200.05 दंगा पीड़ितों को सहायता	मूल	5.30	5.30	0.00	(-)5.30	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-60.800.06 गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2250-00.102.03 वक्फ बोर्डों को सहायता	मूल	10.50	10.50	0.00	(-)10.50	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2250-00.800.06 मदरसों हेतु विविध अनुदान	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2250-00.800.09	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2250-00.800.11	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2250-00.800.13	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2250-00.800.19	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2250-00.800.20	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अल्पसंख्यक विकास निधि						
2250-00.800.22	मूल	65.00	65.00	0.00	(-)65.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना						
2250-00.800.27	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद						
2250-00.800.28	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद						
2250-00.800.29	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
वक्फ ट्रिब्यूनलों हेतु सहायता						
2250-00.800.30	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मुख्यमंत्री मुस्लिम छात्राओं हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना						

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2250-00.800.31	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना						

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.103.20 परित्यक्त/ निराश्रित महिला, मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण-पोषण अनुदान	मूल	80.00	2,36.06	2,35.80	(-)0.26	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2017 को ₹ 1,56.06 लाख की वृद्धि परित्यक्त महिला, निराश्रित महिला, मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण-पोषण अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	1,56.06				
2235-60.102.06 किसान पेंशन योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	19,66.84	(+)17,66.84	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

पूजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 17,66.49 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,50.27 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(8) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	32,19.88	10,16.84	22,03.04
2012-13	26,35.52	22,81.53	3,53.99
2013-14	32,55.62	25,80.28	6,75.34
2014-15	1,57,03.85	82,75.02	74,28.83
2015-16	56,56.07	17,43.61	39,12.46

(9) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4235-02.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 5,50.01	4,00.01	3,00.00	(-)1,00.01	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,50.00 लाख के अभ्यर्पण भारत सरकार से अनुरक्षण मद में निधि प्राप्त न होने के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि. (-)1,50.00				
4235-02.103.10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना)	मूल 4,00.00	4,00.00	69.88	(-)3,30.12	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ हजार में)	अभियुक्ति
4235-60.200.03 सैनिक कल्याण	मूल	3,02.00	3,02.00	39.47	(-)2,62.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4250-00.800.11 कब्रिस्तान के चहारदीवारी का निर्माण	मूल	15,00.00	15,00.00	12,91.23	(-)2,08.77	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(10) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4225-03.190.03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4225-03.277.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4235-02.102.03	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4235-02.102.04	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4235-02.103.06	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4235-02.103.09	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4250-00.800.01	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4250-00.800.04	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4250-00.800.07	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4250-00.800.08	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4250-00.800.10	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4250-00.800.12	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन						

(11) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4250-00.800.06	मूल	0.01	0.01	1,50.00	(+)1,49.99	टोकन बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
देहरादून में मुसाफिरखाना का निर्माण						

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखा शीर्ष

राजस्व:

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2230- श्रम एवं रोजगार

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,14,02,74	2,19,73,67	1,47,36,92	(-)72,36,75
पूरक	5,70,93			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

5,52,96

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,57 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,24,64	14,24,64	12,88,71	(-)1,35,93
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्वः

दत्तमत-

- (1) ₹ 72,36.75 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 5,52.96 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (2) ₹ 72,36.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 5,70.93 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	71,43.23	59,04.03	12,39.20
2012-13	1,12,98.14	76,52.90	36,45.24
2013-14	1,46,02.22	1,17,31.86	28,70.36
2014-15	2,09,58.57	1,51,38.26	58,20.31
2015-16	2,11,88.37	1,25,85.08	86,03.29

- (4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2210-01.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (88 प्रति शत के0स0)	मूल 44,19.95	44,19.95	35,74.23	(-)8,45.72	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2230-01.001.03 श्रम विभाग का अधिष्ठान	मूल 2,86.90 पूरक 3.00	2,89.90	2,16.96	(-)72.94	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2230-01.101.03	मूल	8,62.15	8,62.15	6,10.14	(-)2,52.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन						
2230-01.101.04	मूल	45.65	45.65	25.72	(-)19.93	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड						
2230-01.101.05	मूल	3,16.70	3,16.70	1,48.37	(-)1,68.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान						
2230-01.102.03	मूल	1,10.20	1,13.20	77.19	(-)36.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
निरीक्षण अधिष्ठान	पूरक	3.00				
2230-01.103.01	मूल	10.00	10.00	4.40	(-)5.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें						
2230-01.103.03	मूल	77.35	1,37.35	82.69	(-)54.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
श्रम कल्याण की विविध योजनायें/ कल्याण केन्द्र	पूरक	60.00				

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2230-01.103.10 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आनलाईन पंजीकरण/ नवीनीकरण	मूल	30.00	30.00	23.01	(-)6.99	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2230-02.001.03 रोजगार संबन्धी अधिष्ठान	मूल	10,88.33	6,76.85	6,79.65	(+2.80)	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 4,19.25 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	7.77				
	पुनर्वि.	(-)4,19.25				
2230-02.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	38.50	34.44	31.61	(-)2.83	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 4.06 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)4.06				

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2230-02.800.03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछड़े वर्ग हेतु)	मूल	2,52.65	1,28.38	1,28.25	(-)0.13	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,24.27 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)1,24.27				
2230-02.800.07 बेरोजगारी भत्ता	मूल	20,11.00	20,08.84	8.84	(-)20,00.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 2.16 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)2.16				

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2230-03.001.01 प्रशिक्षण एवं रोजगार संबन्धी अधिष्ठान	मूल	3,69.77	3,85.77	2,54.77	(-)1,31.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	16.00				
2230-03.003.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ	मूल	21.97	21.97	3.72	(-)18.25	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2230-03.003.03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान	मूल	99,87.31	1,04,68.47	81,49.40	(-)23,19.07	वास्तविक व्यय में वर्ष 2014-15 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 20,238 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	4,81.16				
2230-03.003.07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण	मूल	2,30.00	2,30.00	59.46	(-)1,70.54	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2230-03.003.08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति	मूल	12.10	12.10	1.53	(-)10.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2230-03.800.01	मूल	11,00.00	11,00.00	6,00.00	(-)5,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं						

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2230-01.103.05	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुनर्वास योजना						
2230-01.103.09	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हींकरण						
2230-03.003.09	मूल	40.08	40.08	0.00	(-)40.08	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
नए व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना						

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.

पूँजीगत:

दत्तमत-

(6) ₹ 1,35.93 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(7) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	16,92.75	10,47.25	6,45.50
2012-13	6,80.00	6,37.10	42.90
2013-14	5,00.00	3,46.14	1,53.86
2014-15	74,60.00	41,32.86	33,27.14
2015-16	15,60.00	14,70.64	89.36

(8) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4216-80.001.03 श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/ अनावासीय भवन/ भूमि क्रय	मूल 24.64	24.64	0.00	(-)24.64	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2401- फसल कृषि कर्म

2415- कृषि अनुसंधान

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,27,71,30	8,93,88,30	6,41,85,78	(-)2,52,02,52
पूरक	66,17,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

25,00,89

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,50,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 49,16,33 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

6401- फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	98,33,03	1,08,33,03	1,24,41,29	(+)16,08,26
पूरक	10,00,00			

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 88,40,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

- (1) ₹ 2,52,02.52 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 25,00.89 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (2) ₹ 2,52,02.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 66,17.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	4,64,41.32	4,19,68.13	44,73.19
2012-13	4,16,25.70	2,84,42.94	1,31,82.76
2013-14	4,95,46.98	3,08,53.78	1,86,93.20
2014-15	5,58,47.55	4,67,38.96	91,08.59
2015-16	7,38,83.87	5,23,33.34	2,15,50.53

- (4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.001.04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	90,19.13	90,15.93	(-)3.20	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 23,75.01 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा विशेष एवं व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	मूल 1,13,94.14			
	पुनर्वि. (-)23,75.01			

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.102.04 खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम	मूल	2,00.00	63.79	63.79	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 02 दिसम्बर 2016 को ₹ 1,32.96 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 3.25 लाख की कमी खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गई।
	पुनर्वि.	(-)1,36.21				
2401-00.102.06 जैविक मंडुवा उत्पादन कार्यक्रम	मूल	1,89.50	1,87.42	61.46	(-)1,25.96	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 52.08 लाख के अभ्यर्पण सब्सिडी एवं प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)52.08				
2401-00.108.03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान	मूल	19,48.10	19,48.10	14,65.11	(-)4,82.99	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.108.08 गन्ना किसानों को प्रोत्साहन बोनस का भुगतान	मूल	1,15,64.00	1,81,31.00	1,12,35.00	(-)68,96.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	65,67.00				
2401-00.108.10 क्रय कर की वापसी / भुगतान	मूल	18,00.00	18,00.00	10,00.00	(-)8,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2401-00.109.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	15,80.00	15,78.89	9,56.50	(-)6,22.39	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1.11 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1.11				

नुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.110.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	6,00.00	6,00.00	3,80.66	(-)2,19.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.					
2401-00.111.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	84.36	82.67	38.87	(-)43.80	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1.69 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1.69				
2401-00.114.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	1,15.00	1,02.47	33.28	(-)69.19	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 12.53 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)12.53				

नुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	2,30,69.02	2,21,75.68	1,06,37.31	(-)1,15,38.37	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2017 को ₹ 7,90.22 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,03.12 लाख की कमी अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)8,93.34				
2401-00.800.05 जलागम प्रबन्ध निदेशालय	मूल	72.30	72.30	42.50	(-)29.80	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2401-00.800.13 राज्य स्तरीय जलागम परिषद	मूल	29.83	29.83	5.59	(-)24.24	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2415-80.120.04	मूल	16,27.35	16,27.35	14,02.95	(-)2,24.40	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उत्तराखण्ड औद्यागिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसाड़						
2415-80.120.13	मूल	1,00.00	1,00.00	86.17	(-)13.83	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पर्वतीय कृषि महाविद्यालय जखोली						
2415-80.120.14	मूल	1,00.00	1,00.00	21.25	(-)78.75	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पर्वतीय कृषि महाविद्यालय भराड़ीसेण						
2415-80.120.15	मूल	97.75	97.75	85.70	(-)12.05	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
खाद्य प्रोद्योगिकी संस्थान डोईवाला						

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.800.11	मूल	8.06	8.06	0.00	(-)8.06	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
जलागम प्रबंधन परियोजनाएं अनुश्रवण विकास परिषद						

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.800.14 माधव सिंह भंडारी कृषि सहभागिता योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2415-80.120.05 पन्त नगर विश्वविद्यालय में बाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2415-80.120.08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की विशिष्ट योजना	मूल	55.00	55.00	0.00	(-)55.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2415-80.120.11 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कालसी (देहरादून)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2415-80.120.12 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय नारियाल गावं (चम्पावत)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2415-80.120.16 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोचर (चमोली)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2415-80.120.17 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2415-80.120.18 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गहड़-खिर्सू (पौड़ी)	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2415-80.120.19	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2415-80.120.20	मूल	60.50	60.50	0.00	(-)60.50	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2415-80.120.21	मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2415-80.120.22	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.108.05	मूल	40.00	40.00	1,04.89	(+)64.89	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2401-00.800.09	मूल	50.00	2,35.03	2,35.03	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 02 दिसम्बर 2016 को ₹ 1,85.03 लाख की वृद्धि पाली हाउस जल पम्प स्प्रिंकलर सेट योजना के लिए सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	1,85.03				
2415-80.120.03	मूल	1,36,40.00	1,36,40.00	1,43,40.00	(+)7,00.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 16,08.26 लाख का व्ययाधिक्य है |

व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है |

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

(8) ₹ 16,08.26 लाख के व्ययाधिक्य को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए |

(9) प्रावधान के बिना व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4401-00.103.03	मूल	0.00	0.00	13,89.99	(+)13,89.99	निधि के प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2017)
खाद्य/दलहन/ तिलहन/ बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित						
4401-00.107.03	मूल	0.00	0.00	9,83.30	(+)9,83.30	निधि के प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2017)
कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है						

(10) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4401-00.800.05	मूल	33.00	33.00	28.00	(-)5.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण						

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4401-00.108.03	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4401-00.108.05	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4401-00.800.07	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4401-00.800.08	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4401-00.800.09 सरुल सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखा शीर्ष -

राजस्व:

2425- सहकारिता

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	47,91,91	49,91,91	33,22,76	(-)16,69,15
पूरक	2,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,16,45 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

6425- सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,95,24	6,95,24	1,75,48	(-)5,19,76
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 16,69.15 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

(2) ₹ 16,69.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	42,30.95	32,00.65	10,30.30
2012-13	38,32.17	32,29.16	6,03.01
2013-14	44,30.52	35,77.35	8,53.17
2014-15	46,87.97	38,94.62	7,93.35
2015-16	45,27.81	38,67.72	6,60.09

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2425-00.001.03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण	29,05.94	22,39.75	(-)6,66.19	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
2425-00.001.05 सहकारिता न्यायधिकरण	1,40.40	75.61	(-)64.79	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
2425-00.001.06 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण	79.99	29.99	(-)50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।

अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2425-00.800.04 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	मूल	2,58.19	2,58.19	71.00	(-)1,87.19	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2425-00.800.13 सहकारी सहभागिता योजना	मूल	10,00.00	12,00.00	5,00.00	(-)7,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00.00				

पूँजीगत:

दत्तमत-

(5) ₹ 5,19.76 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(6) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4425-00.200.03 समितियों की अंश पूँजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)	मूल	3,45.24	3,45.24	1,20.51	(-)2,24.73	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
6425-00.800.04 एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	मूल	3,00.00	3,00.00	54.97	(-)2,45.03	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(7) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
6425-00.800.05 पैक्स संस्थाओं को बहुधन्धी बनाने हेतु ऋण (नाबार्ड पोषित)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,12,81,61	11,17,99,42	6,32,34,26	(-)4,85,65,16
पूरक	5,17,81			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 96 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1) |

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 28,63,28 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,72,10,37	7,72,10,37	7,01,84,66	(-)70,25,71
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये:

राजस्व:

दत्तमत-

- (1) ₹ 4,85,65.16 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (2) ₹ 4,85,65.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 5,17.81 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	3,87,84.37	2,95,13.73	92,70.64
2012-13	3,89,51.67	2,56,51.69	1,32,99.98
2013-14	4,92,35.35	3,13,12.90	1,79,22.45
2014-15	12,72,86.10	6,21,39.97	6,51,46.13
2015-16	9,07,10.29	7,80,13.98	1,26,96.31

- (4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2501-01.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल 5,16,21.13 पूरक 4,02.41	5,20,23.54	2,07,92.27	(-)3,12,31.27	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,07,232 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2501-02.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	3,54.73	3,54.73	2,54.73	(-)1,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.001.03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान	मूल	3,50.20	3,57.70	2,30.56	(-)1,27.14	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	7.50				
2515-00.001.04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान	मूल	1,37.46	1,37.46	1,02.97	(-)34.49	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.003.03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	मूल	8,64.66	8,64.66	6,96.75	(-)1,67.91	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.003.04 उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम	मूल	50.00	50.00	16.65	(-)33.35	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2515-00.101.01	मूल	16,00.01	16,00.01	1,03.00	(-)14,97.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं						
2515-00.101.03	मूल	9,36.45	9,36.45	6,27.70	(-)3,08.75	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,84,565 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पंचायती राज अधिष्ठान						
2515-00.102.01	मूल	2,65.00	2,65.00	60.11	(-)2,04.89	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं						
2515-00.102.03	मूल	1,41,42.13	1,41,50.03	1,20,87.60	(-)20,62.43	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अधिष्ठान	पूरक	7.90				
2515-00.102.05	मूल	58,75.54	58,75.54	43,68.20	(-)15,07.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान						

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2515-00.102.26 डी.आर.डी.ए. प्रकोष्ठ	मूल	33.62	33.62	16.24	(-)17.38	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.102.28 इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान	मूल	5,04.00	6,04.00	1,62.14	(-)4,41.86	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				
2515-00.102.29 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का भुगतान	मूल	25.00	25.00	5.00	(-)20.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.102.32 गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	मूल	14,11.13	14,11.13	10,72.57	(-)3,38.56	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.102.97 (आईफेड) वाह्य सहायतित योजना	मूल	1,31,61.37	1,31,61.37	72,83.44	(-)58,77.93	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2515-00.800.03 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	मूल	39,81.32	39,81.32	34,76.74	(-)5,04.58	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,27,575 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.800.04 वन पंचायत	मूल	53.50	53.50	25.19	(-)28.31	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.800.05 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ	मूल	30.80	30.80	16.74	(-)14.06	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.800.06 राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु)	मूल	2,50.75	2,50.75	2,02.99	(-)47.76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.800.07 राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय)	मूल	4,31.79	4,31.79	3,62.19	(-)69.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2515-00.800.08 ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर वेतन आदि के लिए व्यवस्था	मूल	93,21.91	93,21.91	75,27.19	(-)17,94.72	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.800.09 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुश्रवण परिषद् की स्थापना	मूल	22.00	22.00	10.12	(-)11.88	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.800.11 ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज	मूल	1,01.34	1,01.34	72.60	(-)28.74	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.800.13 स्वयं सहायता समूहों हेतु क्रियाशील पूंजी	मूल	7,00.00	7,00.00	3,75.00	(-)3,25.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2515-00.102.07 राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना	मूल	1,20.40	1,20.40	0.00	(-)1,20.40	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2515-00.102.12 दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना	मूल	3,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2515-00.102.27 प्रक्षेत्र विकास एवं प्रबंधन विभाग	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.102.31 ग्राम विकास कोष	मूल	15,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2515-00.102.33 मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत क्रिटिकल गैप फंडिंग हेतु धनराशि का भुगतान	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.800.10 सीमांत क्षेत्र विकास अनुश्रवण परिषद	मूल	44.80	44.80	0.00	(-)44.80	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2515-00.102.30 ग्रामश्री योजना अंतर्गत पुरस्कारों का वितरण	मूल	1,00.00	6,00.00	5,98.09	(-)1.91	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 04 नवम्बर 2016 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामश्री योजना अंतर्गत पुरस्कारों के वितरण के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	5,00.00				
2515-00.800.12 राठ विकास अभिकरण	मूल	20.00	1,20.00	1,20.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2016 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	1,00.00				

पूजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 70,25.71 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

(8) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	2,13,88.26	1,47,83.57	66,04.69
2012-13	3,12,36.01	1,79,81.42	1,32,54.59
2013-14	3,00,68.50	2,37,86.55	62,81.95
2014-15	8,23,44.76	6,03,81.72	2,19,63.04
2015-16	7,86,11.27	7,34,31.39	51,79.88

(9) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4515-00.102.03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य का शेयर	मूल	30,00.00	30,00.00	16,77.08	(-)13,22.92	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4515-00.102.05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान (पी.एस.जी.वाई.)	मूल	10,00.00	10,00.00	3,49.55	(-)6,50.45	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4515-00.102.12 मेरा गाँव मेरी सड़क	मूल	12,00.00	12,00.00	9,18.59	(-)2,81.41	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4515-00.102.17	मूल	30,00.00	30,00.00	9,81.00	(-)20,19.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
यू.आर.आर.डी.ए के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओ हेतु वृहत निर्माण कार्य						
4515-00.800.05	मूल	50,00.00	50,00.00	31,85.48	(-)18,14.52	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
ग्रामीण सड़के व ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य (नाबार्ड वित्त पोषित)						

(10) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4515-00.102.04	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण						

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4515-00.102.09	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि						
4515-00.102.10	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे
पिछड़े क्षेत्र का विकास						
4515-00.102.11	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
ग्राम्य तालाबों का निर्माण एवं विकास						
4515-00.102.15	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उत्तराखंड ग्रामीण सडक विकास अधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण						
4515-00.102.16	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	...
कारपस फण्ड						

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2700- मुख्य सिंचाई

2701- मध्यम सिंचाई

2702- लघु सिंचाई

2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,61,65,46	4,61,65,46	3,61,08,45	(-)1,00,57,01
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

4,81,25

पूंजीगत:

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,69,88,00	7,72,68,09	4,76,40,56	(-)2,96,27,53
पूरक	2,80,09			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

80,53,36

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये:

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 1,00,57.01 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 4,81.25 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(2) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	3,23,69.51	2,98,67.84	25,01.67
2012-13	3,46,88.55	3,15,43.44	31,45.11
2013-14	3,63,34.52	3,26,86.49	36,48.03
2014-15	4,25,38.62	3,61,98.14	63,40.48
2015-16	4,09,01.64	3,59,44.86	49,56.78

(3) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2700-00.001.03 निदेशन	मूल 38,26.83	38,35.83	30,23.90	(-)8,11.93	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 9.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं एवं विद्युत बिल के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि. 9.00				

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2700-00.001.04 कार्यकारी अधिष्ठान	मूल	2,99,44.72	2,99,35.72	2,30,74.21	(-)68,61.51	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 9.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)9.00				
2700-00.001.05 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कर्मियों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारितों) हेतु एकमुश्त व्यवस्था	मूल	12,00.00	12,00.00	1,79.70	(-)10,20.30	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2700-80.800.09 डी.पी.आर निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	83.68	(-)16.32	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2701-10.101.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	2,55.00	2,55.00	2,15.57	(-)39.43	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2701-11.101.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	4,50.00	4,50.00	3,38.40	(-)1,11.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2701-12.101.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	3,05.00	3,05.00	2,34.17	(-)70.83	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2701-13.101.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	2,90.00	2,90.00	2,39.91	(-)50.09	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2701-14.101.02 अन्य रख-रखाव	मूल	22.18	22.18	4.93	(-)17.25	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2701-15.101.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	25.00	25.00	10.00	(-)15.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2701-20.101.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	17.00	17.00	9.65	(-)7.35	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2702-02.005.03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण	मूल	29,04.09	24,36.84	24,38.00	(+)1.16	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,16,304 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 4,67.25 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पद न भरे जाने के कारण किए गए। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)4,67.25				
2702-02.005.05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति	मूल	14.07	12.44	6.72	(-)5.72	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1.63 लाख के अभ्यर्पण लघु सिंचाई सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष की नियुक्ति कम अवधि के लिए होने के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)1.63				

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2702-03.101.02	मूल	9,00.00	9,00.00	6,82.15	(-)2,17.85	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2702-80.800.03 रेशनलाईजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन	मूल	1,40.61	1,35.26	99.46	(-)35.80	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5.35 लाख के अभ्यर्पण 5 वीं गणना कार्य वित्तीय वर्ष 2016-17 के समाप्ति तक पूर्ण न होने के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)5.35				
2711-01.103.03	मूल	6,00.00	6,00.00	4,56.05	(-)1,43.95	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(4) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2700-00.001.08	मूल	7.95	7.95	0.00	(-)7.95	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2702-80.052.03 नवीन सम्पूर्ति	मूल	7.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)7.00				

(5) बिना प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2701-80.799.03 भन्डार	मूल	0.00	0.00	65.33	(+)65.33	...
2701-80.799.04 विविध कार्य अग्रिम	मूल	0.00	0.00	1.16	(+)1.16	...

(6) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है | लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं | तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं | उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (i) स्टॉक (ii) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (iii) वर्कशॉप उचन्त |

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(i) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(ii) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बड़े खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(iii) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2016-17 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 2,96,27.53 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 80,53.36 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(8) ₹ 2,96,27.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,80.09 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(9) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	5,52,72.89	5,16,42.63	36,30.26
2012-13	6,94,28.21	4,38,01.46	2,56,26.75
2013-14	11,00,95.90	4,91,65.88	6,09,30.02
2014-15	10,23,92.07	7,76,05.69	2,47,86.38
2015-16	11,32,02.00	7,34,43.45	3,97,58.55

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4700-03.800.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	50.00	50.00	39.59	(-)10.41	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4700-18.800.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	10,00.00	10,00.00	1,26.60	(-)8,73.40	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4701-80.005.03 निर्माण कार्य	मूल	1,00.00	1,00.00	41.61	(-)58.39	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4701-80.800.03 जल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण के लिए जलाशयों एवं कैंटर ट्रेन्च आदि का निर्माण	मूल	2,00.00	2,00.00	1,70.01	(-)29.99	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4702-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	1,50,03.00	69,49.64	68,93.09	(-)56.55	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 80,53.36 लाख के अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)80,53.36				

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4702-00.800.91	मूल	0.00	0.00	(-)1,06.53	(-)1,06.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उचंत-उचंत से निर्माण कार्यो को सामग्री का निर्गमन						
4711-01.103.01	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	61,41.04	(-)1,38,58.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
4711-01.103.03	मूल	0.00	2,80.09	1,51.61	(-)1,28.48	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव	पूरक	2,80.09				
4711-01.103.04	मूल	1,25,00.00	1,25,00.00	1,04,22.78	(-)20,77.22	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
नाबार्ड द्वारा प्रायोजित आपातकालीन कार्य						

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4700-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4700-01.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4700-01.800.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4700-05.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	60,00.00	60,00.00	0.00	(-)60,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4700-13.800.02 अन्य रखरखाव व्यय	मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4701-80.003.03 निर्माण कार्य	मूल	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4701-80.004.03 निर्माण कार्य	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4701-80.006.03 निर्माण कार्य	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4701-80.190.03	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
4701-80.800.06	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

(12) व्यय/आधिक्य बिना प्रावधान के निम्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4700-04.800.02	मूल	67,50.00	67,50.00	67,95.10	(+)45.10	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
4700-11.799.03	मूल	0.00	0.00	33,28.22	(+)33,28.22	...

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4700-11.799.04 विविध कार्य अग्रिम	मूल	0.00	0.00	33.89	(+)33.89	...

(13) उचन्त लेन-देन

टिप्पणी (6) के अनुसार

उचन्त लेन-देन का विश्लेषण-सिंचाई विभाग के वर्ष 2016-17 के पूंजीगत प्रभाग परिशिष्ट (iv) में दिया गया है ।

अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2801- बिजली

2810- नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,66,12	17,66,12	17,40,97	(-)25,15
पूरक	2,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

पूंजीगत:

4801- विद्युत परियोजना स्रोत पर पूंजीगत परिव्यय

6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,80,64,02	4,80,64,02	1,66,59,30	(-)3,14,04,72
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,00,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्वः

दत्तमत-

- (1) ₹ 25.15 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (2) ₹ 25.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (3) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2801.05.800.03 ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन	मूल 14.10	14.10	7.33 (-6.77)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

पूंजीगतः

दत्तमत-

- (4) ₹ 3,14,04.72 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (5) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	6,76,03.02	1,44,10.70	5,31,92.32
2012-13	9,51,12.02	5,82,72.00	3,68,40.02
2013-14	6,19,94.02	2,94,18.05	3,25,75.97
2014-15	4,92,71.07	1,31,05.00	3,61,66.07
2015-16	2,13,90.37	1,11,48.37	1,02,42.00

अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

(6) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4801-01.190.97 वाह्य सहायतित योजना	मूल	59,51.00	59,51.00	2,00.00	(-57,51.00)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6801-01.190.04 नाबार्ड से जल विद्युत निगम को ऋण	मूल	25,00.00	25,00.00	10,39.00	(-14,61.00)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6801-01.190.97 बाह्य सहायतित योजना	मूल	1,84,40.00	1,84,40.00	9,44.72	(-1,74,95.28)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6801-05.190.97 बाह्य सहायतित योजना	मूल	58,00.00	58,00.00	27,75.58	(-30,24.42)	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 21 ऊर्जा समाप्त.

(7) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहें:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4801-01.190.05	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
4801-05.190.97	मूल	37,73.00	37,73.00	0.00	(-)37,73.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

(8) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4801-01.190.06	मूल	45,00.00	45,00.00	47,00.00	(+)2,00.00	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
जल विद्युत परियोजनाओं हेतु उत्तरांचल जल विद्युत् निगम लिमिटेड में निवेश						

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2059- लोक निर्माण कार्य

2216- आवास

3054- सड़क तथा सेतु

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,91,69,91	7,07,65,91	6,46,00,64	(-)61,65,27
पूरक	15,96,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017) ...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 27,22 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I) |

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 96,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,30,00	7,40,00	6,01,77	(-)1,38,23
पूरक	10,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017) ...

पूँजीगत:

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,14,57,33	16,79,57,33	13,56,01,77	(-)3,23,55,56
पूरक	65,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 77,74,09 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 59,22,02 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (1) ₹ 61,65.27 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (2) ₹ 61,65.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 15,96.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	4,37,52.92	4,02,09.80	35,43.12
2012-13	5,36,79.38	4,79,94.53	56,84.85
2013-14	5,86,43.02	4,90,77.63	95,65.39
2014-15	7,84,54.82	5,79,09.42	2,05,45.40
2015-16	6,57,12.03	5,37,57.33	1,19,54.70

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2059-80.001.05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु	16,66.90	10,23.40	6,91.27	(-)3,32.13	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 8,316 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2016 को ₹ 6,21.00 लाख एवं 19 दिसम्बर 2016 को ₹ 22.50 लाख की कमी मजदूरी में बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि. (-)6,43.50				

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2059-80.051.03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखंड	मूल	3,83,45.50	3,90,46.00	3,42,55.62	(-)47,90.38	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,79,341 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2016 को ₹ 5,91.00 लाख एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2016 को ₹ 13.50 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	96.00				
	पुनर्वि.	6,04.50				
3054-03.337.03 अनुरक्षण एवं मरम्मत (दुर्घटना संभावित क्षेत्र)	मूल	1,00.00	1,00.00	51.16	(-)48.84	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
3054-03.337.04 मोटर मार्ग अनुरक्षण कार्य हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था	मूल	6,00.00	6,00.00	4,74.34	(-)1,25.66	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3054-04.337.05	मूल	2,50.00	2,50.00	2,23.38	(-)26.62	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मोटर मार्ग अनुरक्षण कार्य हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था						

(5) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2059-80.001.03 निदेशन	मूल	30,84.50	31,23.50	33,04.13	(+)1,80.63	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 31,589 भी सम्मिलित है प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2016 को ₹ 30.00 लाख एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2016 को ₹ 9.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं एवं विद्युत बिल के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	39.00				

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3054-80.800.03 निर्माण	मूल	5,46.00	5,46.00	5,65.75	(+)19.75	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

राजस्व:

भारित-

- (6) ₹ 1,38.23 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (7) ₹ 1,38.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 10.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (8) अनुदान के राजस्व भारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	3,44.03	2,04.28	1,39.75
2012-13	3,88.00	2,85.91	1,02.09
2013-14	4,33.00	2,58.05	1,74.95
2014-15	4,99.00	27.61	4,71.39
2015-16	5,09.00	0.26	5,08.74

- (9) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2059-01.053.03 रखरखाव तथा मरम्मत (भारित)	मूल	3,50.00	3,60.00	2,98.13	(-)61.87	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10.00				

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3054-80.800.04 न्यायालय की आग्याप्तियों का भुगतान (भारित)	मूल	3,00.00	3,00.00	2,29.09	(-)70.91	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

पूँजीगत:

दत्तमत-

(10) ₹ 3,23,55.56 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(11) ₹ 3,23,55.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 65,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(12) व्यय/आधिक्य बिना प्रावधान के निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-80.800.10 लोक निर्माण (नये कार्य)	मूल	2,87.33	2,87.33	3,05.84	(+)18.51	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5054-03.052.04 मशीनरी और यंत्रों/भवनों की खरीद	मूल	50.00	50.00	59.97	(+)9.97	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5054-03.052.05 नयी खरीददारी	मूल	4,00.00	4,00.00	4,04.86	(+)4.86	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
5054-03.799.03 भण्डार	मूल	0.00	0.00	26,75.07	(+)26,75.07	...
5054-03.799.04 विभिन्न अग्रिम कार्य	मूल	0.00	0.00	21,62.41	(+)21,62.41	...
5054-04.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	50,00.00	1,10,00.00	93,58.04	(-)16,41.96	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2016 को ₹ 5,00.00 लाख एवं दिनांक 20 फरवरी 2017 को ₹ 55,00.00 लाख की वृद्धि सड़क निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	60,00.00				

(13) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है | लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं | तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं | उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (i) स्टॉक (ii) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (iii) वर्कशॉप उचन्त |

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(i) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(ii) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेचीं गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बड़े खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(iii) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2016-17 तक की अवधि के लोक निर्माण विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-V में दिया गया है।

(14) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4059-80.800.09 लोक निर्माण (नये कार्य)	मूल	20.00	20.00	1.20	(-)18.80	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
5054-03.101.03 पुलों का निर्माण और सुदृढीकरण	मूल	30,00.00	45,00.00	20,89.74	(-)24,10.26	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	15,00.00				

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
5054-04.800.03 राज्य क्षेत्र	मूल	9,42,00.00	10,07,00.00	8,56,66.07	(-)1,50,33.93	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2017 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि नाबाई वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ योजना के अंतर्गत वृहत् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	50,00.00				
	पुनर्वि.	15,00.00				
5054-04.800.05 सड़कों/भवनों/पुलों हेतु भूमि अधिग्रहण	मूल	25,00.00	25,00.00	20,79.56	(-)4,20.44	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
5054-04.800.97 विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित योजना	मूल	4,00,00.00	3,85,00.00	2,52,47.11	(-)1,32,52.89	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2017 को ₹ 15,00.00 लाख की कमी 'वृहत् निर्माण कार्य' शीर्ष के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
5054-05.800.02 सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु विशेष सहायक अनुदान	मूल	1,50,00.00	90,00.00	49,99.99	(-)40,00.01	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2016 को ₹ 5,00.00 लाख एवं दिनांक 20 फरवरी 2016 को ₹ 55,00.00 लाख की कमी 'वृहत् निर्माण कार्य' शीर्ष के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)60,00.00				

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.

(15) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत(-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
5054-04.800.07 क्रोनिक स्लिप जोन उपचार की व्यवस्था	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5054-80.190.03 उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूजी	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखा शीर्ष

राजस्व:

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण

2851- ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,09,48,16	2,30,57,76	1,24,17,98	(-)1,06,39,78
पूरक	21,09,60			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 37,88,05 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I) |

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,59,59 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

पूँजीगत:

4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

4851- ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय

4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4860- उपभोक्ता उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय

4885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,46,76,01	1,73,51,01	1,38,84,53	(-)34,66,48
पूरक	26,75,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (1) ₹ 1,06,39.78 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (2) ₹ 1,06,39.78 लाख की अंतिम बचत में से, माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 21,09.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	78,77.22	64,30.43	14,46.79
2012-13	71,39.02	60,06.72	11,32.30
2013-14	92,16.28	71,27.74	20,88.54
2014-15	93,59.50	79,57.12	14,02.38
2015-16	1,59,90.24	1,25,24.40	34,65.84

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2058-00.001.03 राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान	मूल	13,62.38	13,49.82	11,02.34	(-)2,47.48	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 12.56 लाख की कमी राजकीय प्रेस रुड़की के अंतर्गत सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)12.56				
2851-00.101.02 मेगा टेक्स्टाईल पॉलिसी 2014	मूल	15,00.00	15,00.00	2,00.00	(-)13,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.101.03 मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015	मूल	20,00.00	20,00.00	2,50.00	(-)17,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2851-00.102.03 अधिष्ठान व्यय	मूल	28,34.20	25,14.20	20,71.21	(-)4,42.99	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 3,20.00 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)3,20.00				
2851-00.102.18 उत्तराखण्ड परिवहन और अन्तराष्ट्रीय व्यापार कार्यालय की स्थापना	मूल	20.60	20.60	3.40	(-)17.20	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2851-00.102.23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूजी उपादान सहायता	मूल	40,00.00	40,00.00	19,21.78	(-)20,78.22	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2851-00.102.25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान	मूल	92.52	92.52	55.63	(-)36.89	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.102.30 महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना	मूल	50.00	50.00	18.33	(-)31.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.102.34 एस.एस.एम.ई. परियोजना प्रबंधन ईकाई (पी.एम.यू.) की स्थापना	मूल	50.00	50.00	18.33	(-)31.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.103.12 शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	मूल	25.00	25.00	12.50	(-)12.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.103.16 हथकरघा, कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता	मूल	20.00	20.00	10.00	(-)10.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2851-00.105.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	13.33	(-)86.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.800.03 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	मूल	3,00.00	3,00.00	1,50.00	(-)1,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.800.08 रेशा खरीद हेतु अनुदान	मूल	1,00.00	40.00	40.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2017 को ₹ 60.00 लाख की कमी रेशा खरीद के लिए सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2853-02.001.03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान	मूल	11,65.40	12,95.00	9,28.31	(-)3,66.69	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,29.60				
2853-02.001.04 राज्य खनिज विकास परिषद	मूल	1,00.00	1,00.00	8.73	(-)91.27	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2853-02.102.03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना	मूल	5,48.00	5,48.00	1,50.19	(-)3,97.81	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2853-02.800.02 खनन निगरानी	मूल	6,03.02	6,03.02	30.17	(-)5,72.85	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3425-60.004.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	1,50.00	1,50.00	25.39	(-)1,24.61	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3425-60.004.07 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता	मूल	5,00.00	5,00.00	3,32.50	(-)1,67.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3425-60.004.14 जैव तकनीकी कार्यक्रम के लिए सहायक अनुदान	मूल	3,00.00	3,00.00	2,35.00	(-)65.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3425-60.800.03 राज्य में प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण	मूल	1,07.00	5,57.00	1,07.00	(-)4,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	4,50.00				

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3425-60.800.04 क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन	मूल	5,00.00	15,00.00	9,60.00	(-)5,40.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10,00.00				

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2851-00.102.35 स्टार्टअप और स्टैंडप उद्यमिता विकास योजना	मूल	2,00.00	1,35.00	0.00	(-)1,35.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)65.00				
2851-00.103.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	12,00.01	12,00.01	0.00	(-)12,00.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.103.13 समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर शिल्पकार इत्यादि विकास योजना	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2851-00.103.15 जयानंद भारती दस्तकार प्रशिक्षण योजना	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2851-00.105.20 कताई बुनाई बुनकरों को आर्थिक सहायता	मूल	7.00	7.00	0.00	(-)7.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3425-60.800.05 हिल्ड्रान के वाईडअप के फलस्वरूप विभिन्न देयकों का भुगतान	मूल	2,49.00	2,49.00	0.00	(-)2,49.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2058-00.104.03 छपाई की लागत	मूल	10.00	22.56	22.56	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 12.56 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	12.56				

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2851-00.102.32 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	मूल	2,00.00	4,60.00	4,60.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 मार्च 2017 को ₹ 2,60.00 लाख की वृद्धि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	2,60.00				
2851-00.103.14 उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना	मूल	5.00	20.00	20.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	15.00				
2851-00.105.03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	मूल	3,00.00	11,20.00	11,20.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2017 को ₹ 3,20.00 लाख की वृद्धि खादी तथा ग्रामोद्योग हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	3,20.00				

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2851-00.800.04 औद्योगिक मेले- प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार	मूल	2,00.00	2,50.00	2,50.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि प्रचार, सेमिनार, औद्योगिक मेला तथा प्रदर्शनी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	50.00				

पूँजीगत:**दत्तमत-**

(7) ₹ 34,66.48 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(8) ₹ 34,66.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 26,75.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(9) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	14,10.55	75.84	13,34.71
2012-13	40,55.00	16,86.00	23,69.00
2013-14	37,61.81	9,40.76	28,21.05
2014-15	38,78.87	12,98.25	25,80.62
2015-16	76,89.04	60,59.95	16,29.09

अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त.

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4859-02.800.01	मूल	27,00.01	27,00.01	68.93	(-)26,31.08	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
4859-02.800.03	मूल	2,00.00	2,00.00	1,02.76	(-)97.24	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सशक्तीकरण						
4885-01.190.08	मूल	40,00.00	40,00.00	34,66.66	(-)5,33.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सिडकुल को सहायता						

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4859-02.800.12	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई जोन स्थापित किया जाना						

अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखा शीर्ष

राजस्व:

2401- वाहन कर

3053- नगर विमानन

3055- सड़क परिवहन

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	64,16,11	65,26,11	53,56,98	(-)11,69,13
पूरक	1,10,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

पूंजीगत:

5053- नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

7055- सड़क परिवहन के लिए कर्ज

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	60,00,03	70,00,03	25,58,65	(-)44,41,38
पूरक	10,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

- (1) ₹ 11,69.13 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (2) ₹ 11,69.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 1,10.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	20,63.88	19,27.05	1,36.83
2012-13	32,90.28	27,00.00	5,90.28
2013-14	45,61.98	42,39.51	3,22.47
2014-15	49,21.89	43,94.62	5,27.27
2015-16	47,04.43	41,44.65	5,59.78

- (4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2041-00.800.03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान	मूल 79.45	79.45	37.71 (-)41.74	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3053-80.003.03 नागरिक उड्डयन	मूल 1,11.63	1,11.63	86.10 (-)25.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3055-00.001.03 परिवहन संबन्धी अधिष्ठान	मूल	33,07.03	33,29.03	25,13.10	(-)8,15.93	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09 मार्च 2017 को ₹ 12.00 लाख की वृद्धि परिवहन अधिष्ठान व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10.00				
	पुनर्वि.	12.00				
3055-00.190.08 उत्तराखण्ड राज्य के वरिष्ठ नागरिक श्रधालुओं को चार धाम यात्रा / धार्मिक यात्राओं में छूट	मूल	1,00.00	1,00.00	0.07	(-)99.93	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3053-02.102.03 हवाई पट्टियों का अनुरक्षण	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3053-02.102.04 पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टियों की सुरक्षा व्यवस्था	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3055-00.001.07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद संबन्धी अधिष्ठान	मूल	13.00	2.00	0.00	(-)2.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)11.00				
3055-00.190.07 परिवहन निगम के कार्मिकों को बी0आर0एस0 हेतु अनुदान	मूल	5.00	1,04.00	0.00	(-)1,04.00	वर्ष 2013-14 से 2015- 16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1.00				

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3055-00.190.09 मुख्यमंत्री व्यावसायिक चालक बीमा योजना	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

पूँजीगत:

दत्तमत-

(6) ₹ 44,41.38 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(7) ₹ 44,41.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(8) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,55,41.80	1,42,86.37	12,55.43
2012-13	1,65,20.04	1,21,24.74	43,95.30
2013-14	1,22,90.05	27,71.72	95,18.33
2014-15	1,18,44.84	88,45.29	29,99.55
2015-16	70,96.01	11,75.24	59,20.77

(9) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
5053-02.800.08 देहरादून में हेलीपैड एवं हेंगर का निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	18.19	(-)81.81	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
5053-02.800.99	मूल	12,00.00	12,00.00	9,38.33	(-)2,61.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5055-00.050.09	मूल	50.00	50.00	20.43	(-)29.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5055-00.050.10	मूल	10,00.00	20,00.00	7,60.00	(-)12,40.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10,00.00				
5055-00.050.13	मूल	40.00	40.00	13.33	(-)26.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5055-00.050.14	मूल	3,00.00	3,00.00	1,50.00	(-)1,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
7055-00.101.05	मूल	10,00.00	10,00.00	4,18.37	(-)5,81.63	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

(10) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अपृक्त रहे:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
5053-02.800.01	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय योजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं						
5053-02.800.03	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान						
5053-02.800.04	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य संबन्धित निर्माण कार्य						
5053-02.800.11	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
व्यावसायिक विमान सेवाओं का विस्तार						

अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
5055-00.050.07	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
5055-00.050.08	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
5055-00.190.01	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
5055-00.800.03	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण

3456- सिविल पूर्ति

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,47,26,58	3,77,26,58	2,05,60,29	(-)1,71,66,29
पूरक	30,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 19,50 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,03,60	12,07,20	22,57,87,34	(+22,45,80,14
पूरक	3,60			

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,60 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्वः

दत्तमत-

(1) ₹ 1,71,66.29 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(2) ₹ 1,71,66.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 30,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	3,27,71.74	2,04,20.24	1,23,51.50
2012-13	3,83,21.27	1,52,37.63	2,30,83.64
2013-14	2,53,31.83	26,77.18	2,26,54.65
2014-15	4,28,45.50	2,03,73.26	2,24,72.24
2015-16	3,32,02.61	2,02,94.73	1,29,07.88

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2408-01.001.03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)	मूल 44,26.66	44,26.66	29,58.02	(-)14,68.64	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2408-01.001.04 राज्य खाद्य आयोग	मूल 83.15	83.15	43.13	(-)40.02	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2408-01.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ	मूल 2,00,00.00	2,00,00.00	84,33.70	(-)1,15,66.30	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3456-00.001.01	मूल	3,54.51	3,54.51	6.07	(-)3,48.44	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ						
3456-00.001.04	मूल	8,49.80	8,49.80	4,48.45	(-)4,01.35	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय						
3475-00.106.03	मूल	5,12.45	5,12.45	3,34.36	(-)1,78.09	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अधिष्ठान व्यय						

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2408-01.102.03	मूल	50,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अटल खाद्यान्न योजना		पुनर्वि. (-)50,00.00				

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2408-01.102.05	मूल	30,00.00	30,00.00	0.00	(-)30,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
शक्कर वितरण योजना के अंतर्गत परिवहन एवं टैक्स का भुगतान						

(6) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2408-01.102.06 राज्य खाद्य योजना	मूल	5,00.00	85,00.00	83,36.56	(-)1,63.44	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 21 मार्च 2017 को ₹ 50,00.00 लाख की वृद्धि राज्य खाद्य योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	30,00.00				
	पुनर्वि.	50,00.00				

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) पूँजीगत दत्तमत अनुदान में ₹ 22,45,80.14 लाख का व्ययाधिक्य है। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

(8) ₹ 22,45,80.14 लाख की अंतिम आधिक्य को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 3.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए ।

(9) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4408-01.101.03	मूल	0.00	0.00	20,06,78.87	(+)20,06,78.87	निधि के प्रावधान के बिना व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
खाद्य आपूर्ति योजना						
4408-01.800.03	मूल	0.00	0.00	2,46,61.14	(+)2,46,61.14	निधि के प्रावधान के बिना व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
गोदामों का निर्माण						

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4408-01.800.01	मूल	5,03.60	5,07.20	1,08.67	(-)3,98.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
	पूरक	3.60				
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं						
4408.01.800.04	मूल	3,00.00	3,00.00	1,50.00	(-)1,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
आयुक्त, खाद्य भवन का निर्माण						

अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4408.01.800.05	मूल	2,00.00	2,00.00	1,66.66	(-)33.34	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
गोदामों का निर्माण						
4408.01.800.06	मूल	1,00.00	1,00.00	22.00	(-)78.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
खाद्य गोदामों/भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव						

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4408-01.800.08	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
संभागीय खाद्य नियंत्रक/व०वि० अधिकारी/ गढ़वाल/ उपायुक्त (मुख्यालय) के कार्यालय भवन का ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून में भवन का निर्माण						

अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

3452- पर्यटन

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	58,55,03	58,68,03	39,98,78	(-)18,69,25
पूरक	13,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,00,00 हजार नहीं लिए गये है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूंजीगत:

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,87,80,03	1,89,90,03	1,18,25,96	(-)71,64,07
पूरक	2,10,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 18,69.25 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

(2) ₹ 18,69.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 13.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	58,78.08	28,12.04	30,66.04
2012-13	72,74.70	42,69.51	30,05.19
2013-14	69,90.16	56,47.13	13,43.03
2014-15	1,10,80.64	68,34.17	42,46.47
2015-16	52,92.48	48,75.67	4,16.81

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
3452-80.001.03 उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद्	मूल 31,24.49	31,24.49	25,88.94	(-)5,35.55	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
3452-80.001.05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)	मूल 1,20.31	1,20.31	89.24	(-)31.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
3452-80.001.09 केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण	मूल 70.00	70.00	50.00	(-)20.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3452-80.001.11 मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	1,24.69	(-)3,75.31	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3452-80.001.12 होटल प्रबंधन संस्थान, नई टिहरी	मूल	2,58.11	2,58.11	1,29.04	(-)1,29.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3452-80.104.03 अधिष्ठान	मूल	3,68.70	3,68.70	2,77.35	(-)91.35	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3452-80.104.07 ऋण उपादान / स्वरोजगार योजना	मूल	8,00.00	8,00.00	4,00.00	(-)4,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
3452-80.104.18 राजकीय होटल मैनजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान	मूल पूरक	3,99.86 13.00	4,12.86	3,28.76	(-)84.10	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
3452-80.104.23 उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
3452-80.800.04 उत्तराखण्ड योग महोत्सव	मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

पूँजीगत:

दत्तमत-

(6) ₹ 71,64.07 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(7) ₹ 71,64.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,10.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(8) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	47,27.64	28,08.00	19,19.64
2012-13	74,34.21	19,02.71	55,31.50
2013-14	78,09.44	30,41.08	47,68.36
2014-15	2,68,26.09	88,30.64	1,79,95.45
2015-16	1,57,03.03	93,92.78	63,10.25

(9) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
5452-01.800.01 केन्द्रीय योजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 70,00.00	70,00.00	8,27.85	(-)61,72.15	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
5452-80.104.04 राज्य क्षेत्र	मूल	11,30.01	13,40.01	8,21.44	(-)5,18.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,10.00				
5452-80.104.09 उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना	मूल	50.00	50.00	16.67	(-)33.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5452-80.800.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	4,00.00	4,00.00	1,60.00	(-)2,40.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(10) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
5452-80.104.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	2,00.01	2,00.01	0.00	(-)2,00.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 27 वन

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन

2407- बागान

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,46,38,35	6,48,38,35	4,38,30,77	(-)2,10,07,58
पूरक	2,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,12,18 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I) |

पूंजीगत:

4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,55,15,07	1,65,15,07	1,00,68,79	(-)64,46,28
पूरक	10,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 2,10,07.58 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(2) ₹ 2,10,07.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	3,22,54.54	3,02,74.09	19,80.45
2012-13	3,72,89.78	3,45,80.07	27,09.71
2013-14	4,01,78.42	3,70,78.21	31,00.21
2014-15	5,95,57.13	4,75,64.22	1,19,92.91
2015-16	5,16,36.70	4,35,64.69	80,72.01

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2406-01.001.03 सामान्य अधिष्ठान	मूल 4,14,90.61	4,14,90.61	3,35,88.53	(-)79,02.08	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.001.04 वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति	मूल 19.20	19.20	4.86	(-)14.34	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 712 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-01.101.03	मूल	1,50.00	1,50.00	9.95	(-)1,40.05	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.102.06	मूल	50.00	50.00	5.40	(-)44.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.102.97	मूल	25,00.01	25,00.01	12,50.06	(-)12,49.95	वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 6,032 भी सम्मिलित है अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.105.03	मूल	70.00	70.00	59.14	(-)10.86	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.800.04	मूल	3,35.53	3,35.53	2,78.27	(-)57.26	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.800.06	मूल	64.60	64.60	54.53	(-)10.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-01.800.09 जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों का जनता को जान माल नुकसान पर क्षति पूर्ति	मूल	4,00.01	5,00.01	4,00.00	(-)1,00.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				
2406-01.800.31 सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढीकरण	मूल	13.11	13.11	3.07	(-)10.04	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.800.34 वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना	मूल	1,37.70	1,37.70	1,01.24	(-)36.46	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.800.41 वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य	मूल	60.00	60.00	9.92	(-)50.08	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.800.46 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीवों से खेती सुरक्षा योजना	मूल	80.00	80.00	40.00	(-)40.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.800.48 हल्द्वानी में जू निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	49.02	(-)9,50.98	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-01.800.50 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना	मूल	1,49.65	2,49.65	1,70.16	(-)79.49	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				
2406-01.800.97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं	मूल	11,50.00	11,50.00	4,00.00	(-)7,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-02.110.05 पर्यावरण निदेशालय का गठन	मूल	1,00.04	1,00.04	20.00	(-)80.04	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-02.110.06 मानव वन्य जीवसंघर्ष रोकथाम	मूल	5,22.00	5,22.00	1,21.99	(-)4,00.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-00.101.01 केन्द्रीय योजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	71,28.02	67,55.67	0.00	(-)67,55.67	वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)3,72.35				

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-01.800.14	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।
2406-01.800.16	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
2406-01.800.18	मूल	1,97.00	1,97.00	0.00	(-)1,97.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
2406-01.800.53	मूल	5.87	5.87	0.00	(-)5.87	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे । सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-01.800.54	मूल	20.50	20.50	0.00	(-)20.50	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2406-02.110.07 नाबार्ड पोषित कलाइमेंट चेंज अनुदान	मूल	20,00.00	5,27.24	0.00	(-)5,27.24	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)14,72.76				
2406-02.800.01	मूल	58.00	58.00	0.00	(-)58.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
एस.ई.आई.ए.ए./ एस.ई.ए.सी. के व्यय की पतिपूर्ति						

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-01.800.01	मूल	0.10	0.10	3,42.66	(+)3,42.56	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-01.800.03 वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर)	मूल	2,73.51	16,82.51	2,95.60	(-)13,86.91	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2016 को ₹ 14,09.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	14,09.00				
2406-02.110.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	18,72.20	23,08.31	19,35.70	(-)3,72.61	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2017 को ₹ 63.76 लाख, दिनांक 24 मार्च 2017 को ₹ 1,72.16 एवं दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 2,00.19 लाख लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	4,36.11				

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

पूजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 64,46.28 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(8) ₹ 64,46.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(9) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	25,00.02	16,35.57	8,64.45
2012-13	57,75.82	41,43.48	16,32.34
2013-14	67,81.41	48,99.12	18,82.29
2014-15	59,10.07	50,73.04	8,37.03
2015-16	1,71,37.08	1,00,02.37	71,34.71

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4406-01.101.03 वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण	मूल 4,00.00	4,00.00	3,36.53	(-)63.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4406-01.101.04 वन विभाग के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	मूल 3,50.00	3,50.00	1,65.00	(-)1,85.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4406-01.102.97 वाहय सहायतित योजना	मूल 95,00.00	95,00.00	47,50.00	(-)47,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4406-02.110.01	मूल	4,50.02	4,50.02	47.93	(-)4,02.09	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं						

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4406-00.101.01	मूल	2,50.01	2,50.01	0.00	(-)2,50.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं						
4406-01.101.06	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
इको टूरिज्म						
4406-01.800.08	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास						

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4406-01.800.10	मूल	80.00	80.00	0.00	(-)80.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4406-01.800.11	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4406-01.800.12	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4406-01.800.14	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 27 वन समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4406-02.800.03	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पारिस्थितिकीय पर्यटन निगम						

(12) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4406-01.102.03	मूल	1,00.00	1,00.00	1,07.63	(+)7.63	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
औषधीय पौधों का संरक्षण						

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2403- पशु पालन

2404- डेरी विकास

2405- मछली पालन

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,58,98,60	2,77,68,35	2,03,81,39	(-)73,86,96
पूरक	18,69,75			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

30,62,79

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,66,27 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I) |

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,91,74 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

पूँजीगत:

4403- पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय

4405- मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,10,01	11,38,51	8,31,92	(-)3,06,59
पूरक	7,28,50			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

टिप्पणियां एवं टीकार्ये

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 73,86.96 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 30,62.79 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(2) ₹ 73,86.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 18,69.75 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,06,82.69	1,02,35.19	4,47.50
2012-13	1,33,31.57	1,24,27.44	9,04.13
2013-14	1,60,62.34	1,35,69.65	24,92.69
2014-15	2,06,56.69	1,72,64.39	33,92.30
2015-16	2,07,06.01	1,82,85.43	24,20.58

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2403-00.001.03 निदेशालय	मूल	1,70,37.58	1,40,90.29	1,41,09.34	(+)19.05	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 29,47.29 लाख के अभ्यर्पण का कारण एरियर का भुगतान न होना, अन्य भत्तों में बढ़ोतरी न होना तथा कम संख्या में कार्मिकों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेना था। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)29,47.29				
2403-00.101.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	15,49.97	15,49.97	4,17.21	(-)11,32.76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2403-00.101.09 पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	मूल	1,91.02	1,91.02	1,61.79	(-)29.23	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2403-00.102.08 बद्री नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन की योजना (नारियल गाँव)	मूल	0.00	1,38.16	47.45	(-)90.71	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 27 मार्च 2017 को ₹ 61.84 लाख की कमी अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)61.84				
2403-00.106.03 राज्य पशुधन एवं कृषि संबन्धी प्रक्षेत्र	मूल	5,73.92	4,58.42	4,58.40	(-)0.02	31 मार्च 2017 को ₹ 1,15.50 लाख के अभ्यर्पण का कारण एरियर का भुगतान न होना, कार्मिकों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ न लेना तथा वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत का होना था
	पुनर्वि.	(-)1,15.50				
2403-00.107.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	2,63.00	2,63.00	1,62.99	(-)1,00.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2403-00.113.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	1,15.47	1,15.47	91.93	(-)23.54	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2404-00.001.03 दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान	मूल	8,88.26	8,88.26	7,21.75	(-)1,66.51	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2404-00.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	5,00.01	13,00.01	1,38.10	(-)11.61.91	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	8,00.00				
2404-00.102.03 डेरी विकास की योजना	मूल	1,50.00	1,50.00	1,09.92	(-)40.08	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2404-00.102.08 सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	मूल	80.00	80.00	62.62	(-)17.38	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2404-00.102.11 दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन	मूल	13,00.00	15,00.00	13,49.99	(-)1,50.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00.00				

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2405-00.001.03 अधिष्ठान	मूल	11,51.30	11,51.30	7,64.41	(-)3,86.89	वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 7,13,125 भी सम्मिलित है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2405-00.101.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	1,30.00	6,99.75	5,56.64	(-)1,43.11	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	5,69.75				
2405-00.101.04 राज्य मत्स्यकी इनपुट योजना	मूल	20.00	20.00	14.40	(-)5.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2405-00.190.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	56.00	56.00	23.72	(-)32.28	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2405-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (80 प्रतिशत केन्द्रांश)	मूल	70.00	70.00	2.99	(-)67.01	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्तः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2403-00.106.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2403-00.107.03 चारा बैंकों (भण्डारण/ वितरण गृह) की स्थापना (राज्य सेक्टर)	मूल	1,00.0	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2403-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2404-00.102.10 सुदृढीकरण डेयरी	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

(6) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2403-00-106-15 राज्य में ऊन कतरन एवं विपणन योजना	मूल	0.00	1,11.84	1,11.84	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27 मार्च 2017 को ₹ 61.84 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पूरक	50.00				
	पुनर्वि.	61.84				

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 3,06.59 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(8) ₹ 3,06.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 7,28.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |

(9) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	11,03.81	8,19.13	2,84.68
2012-13	6,92.83	6,16.50	76.33
2013-14	8,01.63	7,82.63	19.00
2014-15	2,72.79	2,66.94	5.85
2015-16	5,44.01	3,13.72	2,30.29

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य समाप्त.

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4403-00.101.09	मूल	1,50.00	1,50.00	71.74	(-)78.26	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पशुपालन विभाग में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य						
4403-00.101.10	मूल	1,50.00	1,50.00	59.60	(-)90.40	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण						
4405-00.001.03	मूल	25.00	25.00	5.58	(-)19.42	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण						

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4403-00.101.01	मूल	50.01	50.01	0.00	(-)50.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं						

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

मुख्य लेखा शीर्ष -

राजस्व:

2401- फसल कृषि कर्म

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,53,13,56	2,59,67,56	2,10,21,30	(-)49,46,26
पूरक	6,54,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

2,12,52

भारित-

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	77,97	77,97	76,71	(-)1,26
पूरक	...			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

...

पूंजीगत:

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,99,91	(+)8,99,91
पूरक	...			

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (1) ₹ 49,46.26 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 2,12.52 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (2) ₹ 49,46.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 6,54.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,13,87.97	98,93.60	14,94.37
2012-13	1,08,90.78	1,01,72.28	7,18.50
2013-14	1,57,56.91	1,16,69.91	40,87.00
2014-15	1,92,70.93	1,51,39.69	41,31.24
2015-16	2,18,98.32	1,57,53.13	61,45.19

- (4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.119.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 73,24.05	73,24.05	57,26.46 (-)15,97.59	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.119.03 औद्योगिक विकास	मूल	1,43,89.85	1,48,14.72	1,27,23.18	(-)20,91.54	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2016 को ₹ 36.00 लाख एवं दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 1,54.00 की वृद्धि औद्योगिक बीमा योजना तथा वेतन एवं भत्ता आदि हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 25.13 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता के अनुसार व्यय होने के कारण किए गए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	2,60.00				
	पुनर्वि.	1,64.87				
2401-00.119.06 चाय विकास योजना	मूल	7,00.00	9,00.00	6,75.00	(-)2,25.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	2,00.00				

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.119.07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास	मूल	13,11.08	11,68.73	10,81.94	(-)86.79	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,76.35 लाख के अभ्यर्पण निधि के आवश्यकता के अनुसार व्यय होने के कारण किए गए
	पूरक	34.00				
	पुनर्वि.	(-)1,76.35				
2401-00.119.09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान	मूल	4,00.00	2,29.16	2,29.17	(+)0.01	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर 2016 को ₹ 1,70.84 लाख की कमी जड़ी बूटी शोध संस्थान के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)1,70.84				
2401-00.119.16 मानव संसाधन विकास की योजना	मूल	13.50	2.48	1.98	(-)0.50	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 11.02 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)11.02				

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.119.17 भेषज विकास इकाई	मूल	15.00	25.00	12.00	(-)13.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	10.00				
2401-00.119.21 मिर्च मसाला खेती की योजना हेतु (35 प्रतिशत राज्यांश)	मूल	1,00.00	1,00.00	31.25	(-)68.75	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2401-00.119.22 वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण की योजना हेतु (25 प्रतिशत राज्यांश)	मूल	2,00.00	46.00	9.75	(-)36.25	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 21 मार्च 2017 को ₹ 1,54.00 लाख की कमी वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण की योजना के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,54.00				
2401-00.119.23 एन्टी हैल नेट की योजना (25 प्रतिशत राज्यांश)	मूल	61.25	61.25	14.00	(-)47.25	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.119.27 जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को अनुदान/ओषधीय एवं संगंध पौधों के कलस्टर विकास	मूल	1,00.00	2,00.00	1,50.00	(-)50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	1,00.00				
2401-00.119.28 कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की स्थापना	मूल	3,00.00	2,64.00	0.18	(-)2,63.82	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2017 को ₹ 36.00 लाख की कमी कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य के लिए सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)36.00				
2401-00.119.31 मिशन एप्पल योजना	मूल	1,00.00	1,50.00	54.80	(-)95.20	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	50.00				

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास समाप्त.

(5) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.119.26 सगंध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगंध पौधों के कलस्टर विकास	मूल	1,55.00	3,25,84	1,75.84	(-)1,50.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 24 अक्टूबर 2016 को ₹ 1,70.84 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ता आदि हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	1,70.84				

राजस्व:

भारित-

(6) ₹ 1.26 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

पूंजीगत:

दत्तमत-

(7) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग में ₹ 8,99.91 लाख का व्ययाधिक्य है | व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है |

(8) बिना प्रावधान के व्यय निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4401-00.119.04 रोग रहित आलू बीज/कीटनाशक औषधियों की लागत	मूल	0.00	0.00	8,99.91	(+)8,99.91	बिना निधि के प्रावधान के व्यय होने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष -

राजस्व:

2202- सामान्य शिक्षा

2203- तकनीकी शिक्षा

2204- खेल कूद तथा युवा सेवाएं

2205- कला तथा संस्कृति

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2211- परिवार कल्याण

2215- जल पूर्ति तथा सफाई

2217- शहरी विकास

2220- सूचना तथा प्रसार

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

2230- श्रम एवं रोजगार

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2401- फसल कृषि कर्म

2403- पशु पालन

2404- डेरी विकास

2405- मछली पालन

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन

2425- सहकारिता

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

2801- बिजली

2810- नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा

2851- ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

3452- पर्यटन

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,28,68,28	12,41,11,21	6,98,90,43	(-)5,42,20,78
पूरक	12,42,93			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

28,30,56

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,30,27 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में हुई |

पूँजीगत:

4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

4515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय

4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4801- बिजली परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय

5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय

5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,23,23,18	3,25,23,18	2,07,27,58	(-)1,17,95,60
पूरक	2,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

17,08,13

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

(1) ₹ 5,42,20.78 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 28,30.56 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(2) ₹ 5,42,20.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 12,42.93 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	5,71,82.95	3,78,19.54	1,93,63.41
2012-13	5,07,17.37	3,92,78.56	1,14,38.81
2013-14	6,47,89.74	4,37,88.93	2,10,00.81
2014-15	11,25,38.01	8,55,88.08	2,69,49.93
2015-16	12,70,86.46	7,80,47.80	4,90,38.66

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2202-01.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल 77,70.71	77,70.71	68,70.14	(-)9,00.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.109.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल 12,61.81	12,61.81	9,30.03	(-)3,31.78	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल 28,96.56 पूरक 1,75.12	30,71.68	17,52.31	(-)13,19.37	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.800.03	मूल	6,60.00	6,60.00	5,68.11	(-)91.89	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तक						
2202-03.103.03	मूल	50.00	50.00	43.89	(-)6.11	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण						
2202-03.800.01	मूल	3,50.00	3,50.00	48.30	(-)3,01.70	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
2203-00.800.97	मूल	2,25.00	2,25.00	67.92	(-)1,57.08	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
बाह्य सहायतित परियोजनाएँ						
2210-06.101.99	मूल	7,00.00	7,00.00	1,14.00	(-)5,86.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी						

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2211-00.101.01	मूल	11,39.50	11,39.50	7,95.65	(-)3,43.85	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं						
2215-01.102.01	मूल	30,00.00	30,00.00	18,80.51	(-)11,19.49	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें						
2215-01.102.04	मूल	3,50.00	3,50.00	3.88	(-)3,46.12	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
जल स्रोतों का रख-रखाव तथा पुनर्जीवन						
2217-03.191.03	मूल	7,00.00	7,00.00	3,37.21	(-)3,62.79	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
नगरों का समेकित विकास						
2217-03.800.01	मूल	37,10.00	37,10.00	14,26.67	(-)22,83.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें						

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2225-01.001.07	मूल	86.00	86.00	67.13	(-)18.87	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
एस.सी.पी/ टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान						
2225-01.001.08	मूल	65.04	65.04	43.89	(-)21.15	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय						
2225-01.102.03	मूल	16.84	16.84	4.76	(-)12.08	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना						
2225-01.277.01	मूल	1,68,05.32	1,70,56.69	43,23.54	(-)1,27,33.15	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूरक	2,51.37				
2225-01.277.03	मूल	3,44.79	3,44.79	2,25.44	(-)1,19.35	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन						

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-01.277.06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	मूल	5,36.69	5,24.19	3,05.89	(-)2,18.30	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 मार्च 2017 को ₹ 0.50 लाख की वृद्धि आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए खाद्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 23 मार्च 2017 को ₹ 13.00 लाख की कमी खाद्य व्यय तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए औषधि एवं रसायन में हुई बचत के कारण की गई
	पुनर्वि.	(-)12.50				
2225-01.277.12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास	मूल	2,35.63	2,30.78	1,71.85	(-)58.93	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 4.85 लाख की कमी कंप्यूटर के रखरखाव में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)4.85				

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-01.277.13 अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना	मूल	50,56.00	49,89.83	10,00.00	(-)39,89.83	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2017 को ₹ 66.17 लाख की कमी कन्या धन योजना में बचत रहने के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)66.17				
2225-01.277.16 कक्षा 1 से 10 तक के तथा औ.प्र. संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	मूल	30,50.00	29,39.67	2,72.17	(-)26,67.50	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 1,04.16 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 6.17 लाख की कमी योजना के अंतर्गत बचत रहने के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,10.33				

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-01.800.08 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1956 क्रियान्वयन	मूल	40.00	40.00	5.63	(-)34.37	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-01.800.15 अटल आवास योजना	मूल	4,00.00	4,00.00	2,64.00	(-)1,36.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09 मार्च 2017 को ₹ 2,64.00 लाख की कमी अटल आवास योजना के लिए सहायक अनुदान में बचत रहने के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,64.00				
	पुनर्वि.	(-)2,64.00				
2225-01.800.16 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों कि बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)	मूल	15,00.00	15,00.00	5,00.00	(-)10,00.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2230-02.800.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	1,00.10	48.23	48.23	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 51.87 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)51.87				
2230-03.003.02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	मूल	8,10.00	8,10.00	3,55.18	(-)4,54.82	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2235-02.101.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	10,19.00	10,19.00	8,94.47	(-)1,24.53	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2235-02.102.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	55,08.57	28,65.50	28,65.59	(+0.09)	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 26,43.07 लाख के अभ्यर्पण आगनबाड़ी कर्मियों तथा सहायिकों के रिक्त पद न भरे जाने, शतप्रतिशत आगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन न होने तथा भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)26,43.07				
2401-00.109.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	4,00.00	3,75.93	2,11.23	(-)1,64.70	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 24.07 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)24.07				

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.114.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	30.00	24.32	5.08	(-)19.24	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5.68 लाख के अभ्यर्पण निधि के अपयोग न होने के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)5.68				
2401-00.119.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	13,50.00	13,50.00	6,46.67	(-)7,03.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2401-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	59,36.02	58,30.96	11,54.84	(-)46,76.12	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,05.06 लाख के अभ्यर्पण निधि के उपयोग न होने के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,05.06				
2403-00.101.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	2,88.77	2,88.77	70.16	(-)2,18.61	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2403-00.104.02	मूल	8.33	8.33	1.33	(-)7.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2403-00.106.02	मूल	6,95.60	6,95.60	4,37.24	(-)2,58.36	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2404-00.102.02	मूल	6,00.00	6,00.00	1,88.46	(-)4,11.54	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.102.04	मूल	1,00.00	1,00.00	33.33	(-)66.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2406-01.800.02	मूल	1,70.01	1,70.01	95.33	(-)74.68	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2425-00.800.03	मूल	3,64.00	3,64.00	2,82.31	(-)81.69	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2501-01.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	14,25.01	14,29.50	6,05.93	(-)8,23.57	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10 मार्च 2017 को ₹ 4.49 लाख की वृद्धि बायो गैस विकास संयंत्र की अवस्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	4.49				
2501-01.800.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	1,40,00.01	1,40,89.39	74,81.62	(-)66,07.77	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 10 मार्च 2017 को ₹ 4.49 लाख की कमी मनरेगा के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	93.87				
	पुनर्वि.	(-)4.49				
2515-00.102.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	21,92.94	21,92.94	15,23.33	(-)6,69.61	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2515-00.102.91 जिला योजना	मूल	1,28,08.65	1,28,08.65	92,07.67	(-)36,00.98	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-01.800.02 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-03.800.02 इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु लेपटाप वितरण योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2203-00.112.03 पन्त कॉलेज ऑफ़ टैक्नालोजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2203-00.112.04	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2203-00.112.05	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2215-01.101.05	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-03.191.01	मूल	5,40.00	5,40.00	0.00	(-)5,40.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2217-03.191.97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-01.277.07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-01.800.06 अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-01.800.07 शिल्प ग्राम योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2225-01.800.11	मूल	17.00	17.00	0.00	(-)17.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-01.800.17	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-60.800.04	मूल	8.00	8.00	0.00	(-)8.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2406-00.101.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	3,20.00	3,20.00	0.00	(-)3,20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2425-00.800.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	1,34.18	1,34.18	0.00	(-)1,34.18	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2425-00.800.05 सहकारी क्रय- विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	मूल	24.00	24.00	0.00	(-)24.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.103.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-01.001.06 राज्य समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड (50 प्रतिशत के०पो०)	मूल	20.00	44.02	44.02	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 24.02 लाख की वृद्धि समाज कल्याण बोर्ड हेतु सहायक अनुदान के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	24.02				
2225-01.277.18 अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय कि स्थापना	मूल	59.22	1,25.39	98.32	(-)27.07	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2017 को ₹ 66.17 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	66.17				
2225-01.277.19 पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं हेतु सहायता	मूल	80.00	1,84.16	1,83.38	(-)0.78	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2017 को ₹ 1,04.16 लाख की वृद्धि पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	1,04.16				

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2235-60.102.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	67,00.00	69,64.00	68,48.66	(-)1,15.34	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09 मार्च 2017 को ₹ 2,64.00 लाख की वृद्धि वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	2,64.00				

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 1,17,95.60 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 17,08.13 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(8) ₹ 1,17,95.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

(9) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	3,41,48.59	1,64,99.11	1,76,49.48
2012-13	3,61,59.89	1,57,89.06	2,03,70.83
2013-14	5,41,25.81	2,40,31.47	3,00,94.34
2014-15	5,67,29.30	2,67,61.75	2,99,67.55
2015-16	3,12,68.66	1,77,91.75	1,34,76.91

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-01.201.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	15,00.00	17,00.00	5,53.03	(-)11,46.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	2,00.00				
4202-01.202.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	20,00.00	20,00.00	15,20.20	(-)4,79.80	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.202.02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	3,00.00	3,00.00	83.72	(-)2,16.28	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-01.203.02 चूड़ीवाला (हरिद्वार) में भवनों का निर्माण/ डिग्री कॉलेजों की स्थापना	मूल	2,00.00	2,00.00	66.67	(-)1,33.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4406-01.102.03 औषधीय पौधों का संरक्षण	मूल	1,00.00	1,00.00	25.70	(-)74.30	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4702-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	22,00.00	6,76.84	7,24.92	(+)48.08	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 15,23.16 लाख के अभ्यर्पण कलस्टर योजना में भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण किए गए अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)15,23.16				
4702-00.800.02 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	2,00.00	28.03	28.03	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,71.97 लाख के अभ्यर्पण कलस्टर योजना में भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)1,71.97				

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4711-01.103.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	2,00.00	2,00.00	0.74	(-)1,99.26	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5055-00.190.03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम को बस स्टैण्ड निर्माण हेतु सहायता अनुदान	मूल	1,00.00	1,00.00	50.00	(-)50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5055-00.800.03 देहरादून में चालक परीक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए शूल्क रहित प्रशिक्षण	मूल	40.00	40.00	13.33	(-)26.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
6801-05.190.97 बाह्य सहायतित योजना	मूल	21,44.00	21,44.00	6,76.10	(-)14,67.90	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-02.104.03	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राजकीय बहुधन्धी संस्थानों के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/ सुदृढीकरण						
4202-02.105.03	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
एन0आई0टी0 की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण/भवन निर्माण						
4202-02.105.04	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
तकनीकी विश्वविद्यालय को अनुदान						
4202-02.105.05	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)						

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-03.102.03	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
इंडोर हाल व होस्टल का निर्माण						
4202-03.102.04	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य)						
4210-02.104.03	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना						
4210-02.110.02	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान						
4210-02.110.03	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
शव गृहों का निर्माण						

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-02.110.04	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4210-02.800.02	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4210-03.105.06	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4210-03.105.07	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4210-03.105.08	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4210-03.105.09	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4211-00.101.03	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4217-03.800.01	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4217-03.800.02	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
खुशीराम भूमिहीन आवास योजना						
4225-01.190.03	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति विकास निगम शेयर कैपिटल						
4225-01.277.01	मूल	50.01	50.01	0.00	(-)50.01	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
4225-01.277.05	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अनुसूचित जाति के बालक/ बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय का निर्माण						

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4225-01.800.03	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास						
4225-01.800.08	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मुंशी एच०पी० टम्टा की स्मृति में मल्टी शिल्प संस्थान गुरुन्दिबाज का निर्माण						
4235-02.800.03	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
निदेशालय का निर्माण						
4406-00.101.01	मूल	1,00.01	1,00.01	0.00	(-)1,00.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं						
4515-00.102.01	मूल	5,00.01	5,00.01	0.00	(-)5,00.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें						

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4700-06.800.02 अन्य रख-रखाव व्यय	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4801-05.190.97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं	मूल	9,19.00	9,19.00	0.00	(-)9,19.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष-

राजस्व:

2202- सामान्य शिक्षा

2203- तकनीकी शिक्षा

2204- खेल कूद तथा युवा सेवाएं

2205- कला तथा संस्कृति

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2211- परिवार कल्याण

2215- जलापूर्ति तथा सफाई

2217- शहरी विकास

2220- सूचना तथा प्रचार

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

2230- श्रम एवं रोजगार

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2401- फसल कृषि कर्म

2403- पशु पालन

2404- डेरी विकास

2405- मछली पालन

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन

2425- सहकारिता

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

2810- नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा

2851- ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

3452- पर्यटन

दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,40,89,15	3,44,48,80	2,06,33,71	(-)1,38,15,09
पूरक	3,59,65			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

6,76,41

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

पूँजीगत:

- 4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय
 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
 4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय
 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
 4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय
 4406- वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय
 4408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूँजीगत परिव्यय
 4515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय
 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
 4801- विद्युत परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय
 5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय
 5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय
 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज
 दत्तमत-

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+)/बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,14,11,78	1,19,11,78	59,27,08	(-)59,84,70
पूरक	5,00,00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2017)

5,86,82

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(1) ₹ 1,38,15.09 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 6,76.41 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

(2) ₹ 1,38,15.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 3,59.65 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

(3) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,43,79.95	98,44.47	45,35.48
2012-13	1,53,53.68	1,16,85.39	36,68.29
2013-14	1,91,48.57	1,32,49.97	58,98.60
2014-15	2,94,23.92	1,98,65.23	95,58.69
2015-16	3,12,91.70	1,95,06.70	1,17,85.00

(4) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
2202-01.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल 26,92.31	26,92.31	16,20.77	(-)10,71.54	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.796.03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना	मूल 27.71 पूरक 85.46	1,13.17	1,00.86	(-)12.31	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2202-02.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल 8,48.00 पूरक 36.87	8,84.87	5,15.16	(-)3,69.71	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-02.800.03 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तक	मूल	1,08.00	1,08.00	66.88	(-)41.12	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2203-00.105.03 सामान्य पॉलिटेक्निक	मूल	29.00	29.00	8.96	(-)20.04	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2203-00.112.97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं	मूल	97.50	97.50	33.96	(-)63.54	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-03.796.03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	मूल	85.47	85.47	37.07	(-)48.40	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2210-03.796.05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	मूल	29.23	29.23	14.13	(-)15.10	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2210-06.101.99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी	मूल	1,50.00	1,50.00	24.00	(-)1,26.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2211-00.796.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	6,98.81	6,98.81	2,32.89	(-)4,65.92	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2215-01.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	12,97.00	12,97.00	2,94.86	(-)10,02.14	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2215-01.102.04 जल स्रोतों का रख-रखाव तथा पुनर्जीवन	मूल	1,60.00	1,60.00	60.82	(-)99.18	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-03.191.03 नगरों का सामेकित विकास	मूल	2,00.00	2,00.00	51.21	(-)1,48.79	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2217-03.191.97	मूल	1,00.00	1,00.00	81.08	(-)18.92	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2217-03.800.01	मूल	2,60.11	2,60.11	92.50	(-)1,67.61	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.001.03	मूल	1,47.04	1,47.04	1,27.17	(-)19.87	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.001.04	मूल	51.70	51.70	45.93	(-)5.77	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.277.01	मूल	42,00.00	42,00.00	24,08.21	(-)17,91.79	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-02.277.03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रख-रखाव	मूल	1,62.30	1,62.30	1,21.14	(-)41.16	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.277.04 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख-रखाव	मूल	22,43.98	22,43.98	16,39.02	(-)6,04.96	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.796.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	3,69.00	3,69.00	3,00.00	(-)69.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	8,00.00	8,00.00	1,66.67	(-)6,33.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.800.10 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना	मूल	47.79	47.79	41.51	(-)6.28	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-02.800.20	मूल	20.79	20.79	9.60	(-)11.19	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
जनजाति सलाहकार परिषद्						
	मूल	3,50.00	4,64.90	1,14.90	(-)3,50.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.800.21	पूरक	1,14.90				
अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता						
2230-02.796.01	मूल	1,20.20	57.84	57.84	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 62.36 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)62.36				
शिक्षण/ मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना						
2230-02.796.02	मूल	31.50	23.64	23.64	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 7.86 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)7.86				
कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट रोजगार केन्द्र						

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2230-03.796.03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना	मूल	2,56.12	2,56.12	92.15	(-)1,63.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2235-02.796.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	11,61.65	7,30.46	7,30.46	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 4,31.19 लाख के अभ्यर्पण शतप्रतिशत आगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन न होने तथा भारत सरकार से मानक के अनुसार निधि प्राप्त न होने के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)4,31.19				
2235-02.796.04 एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पोषक तत्व	मूल	5,47.13	4,31.54	4,31.54	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 1,15.59 लाख के अभ्यर्पण विभाग के अंतर्गत लगभग 26 प्रतिशत पद रिक्त रहने तथा मानक के अनुसार भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण किए गए
	पुनर्वि.	(-)1,15.59				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.796.10 किसान पेंशन योजना	मूल	1,50.00	85.10	83.60	(-)1.50	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 64.90 लाख की कमी किसान पेंशन योजना में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)64.90				
2235-60.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	8,20.00	8,20.00	3,96.67	(-)4,23.33	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2401.00.102.02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	मूल	1,00.00	81.97	81.97	0.00	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 18.03 लाख के अभ्यर्पण निधि के उपभोग न होने के कारण किए गए।
	पुनर्वि.	(-)18.03				
2401-00.109.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	1,00.00	76.15	17.17	(-)58.98	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 23.85 लाख के अभ्यर्पण निधि के उपभोग न होने के कारण किए गए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	(-)23.85				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2401-00.119.01	मूल	2,25.00	2,25.00	51.50	(-)1,73.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
2401-00.796.31	मूल	56.00	56.00	20.98	(-)35.02	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन योजना						
2401-00.800.01	मूल	9,81.70	9,67.97	1,14.73	(-)8,53.24	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 16.39 लाख के अभ्यर्पण निधि के उपभोग न होने के कारण किए गए अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूरक	2.66				
	पुनर्वि.	(-)16.39				
2404-00.796.01	मूल	20.00	20.00	14.01	(-)5.99	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
डेयरी विकास						
2406-01.796.04	मूल	1,40.00	1,40.00	73.33	(-)66.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण						

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2501-01.796.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	30,00.02	29,09.39	16,04.79	(-)13,04.60	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 मार्च 2017 को ₹ 1,10.39 लाख की कमी मनरेगा के अंतर्गत अन्य व्ययों में हुई बचत के कारण की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पूरक	19.76				
	पुनर्वि.	(-)1,10.39				
2515-00.102.91 जिला योजना	मूल	21,00.01	21,00.01	14,77.72	(-)6,22.29	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2515-00.796.97 आई.एफ.ई.डी. विदेशी सहायता योजना	मूल	3,09.68	3,09.68	1,93.23	(-)1,16.45	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2851-00.103.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	27.00	27.00	5.00	(-)22.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

(5) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2202-01.800.02	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति						
2202-03.796.05	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत बी० पी० एल० विद्यार्थियों हेतु लेपटाप वितरण योजना						
2203-00.112.04	मूल	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
इंजी० कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोडा को सहायक अनुदान						
2203-00.112.05	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़ दौड़ी को सहायता अनुदान (पौड़ी)						

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2217-03.191.01	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.277.05	मूल	3,90.00	3,90.00	0.00	(-)3,90.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.277.09	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-02.794.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2225-02.800.07 अनुसूचित जनजाति के छात्रों सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
2225-02.800.12 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-02.800.13	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.800.16	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.800.18	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2225-02.800.22 बुक्सा और राजी जनजाति का विकास	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-02.800.23 बुक्सा जनजाति हेतु महाराजा जगत देव शिक्षा कोष	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2225-02.800.24 थारू जनजाति हेतु चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2401-00.796.12 केन्द्रपोषित केटिलिटिक योजना	मूल	41.25	41.25	0.00	(-)41.25	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.796.07 ग्रामीण आवास योजना राज्य ऋण सह अनुदान	मूल	16.00	16.00	0.00	(-)16.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2515-00.796.10	मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2515-00.796.11	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.102.01	मूल	5.89	5.89	0.00	(-)5.89	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.103.03	मूल	12.00	12.00	0.00	(-)12.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
2851-00.105.01	मूल	22.00	22.00	0.00	(-)22.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

(6) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2225-02.277.07 सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/ छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान	मूल	3,20.00	5,70.00	7,12.09	(+)1,42.09	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/ छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।
	पुनर्वि.	2,50.00				
2225-02-800.15 एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन	मूल	1,53.52	1,53.52	1,85.47	(+)31.95	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
2235-02.796.08 वृद्धावस्था/ किसान पेंशन	मूल	12,00.50	12,65.40	12,09.56	(-)55.84	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को ₹ 64.90 लाख की वृद्धि वृद्धावस्था/ किसान पेंशन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	64.90				
2501-01.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	3,00.00	4,10.39	4,10.39	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 मार्च 2017 को ₹ 1,10.39 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।
	पुनर्वि.	1,10.39				

पूँजीगत:

दत्तमत-

(7) ₹ 59,84.70 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 5,86.82 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

(8) ₹ 59,84.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह नवम्बर 2016 को प्राप्त ₹ 5,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(9) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

Year	बजट प्रावधान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	बचत (₹ लाख में)
2011-12	1,00,37.06	45,67.25	54,69.81
2012-13	94,78.11	40,50.26	54,27.85
2013-14	1,40,38.97	58,79.13	81,59.84
2014-15	1,63,12.48	1,20,75.04	42,37.44
2015-16	1,17,20.32	55,68.66	61,51.66

(10) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4202-01.201.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 5,86.39	5,86.39	66.96	(-)5,19.43	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
4202-01.202.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल 12,22.00	12,22.00	4,32.03	(-)7,89.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
4202-01.203.03 कतिपय राजकीय महा विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना	मूल 1,00.00	1,00.00	53.33	(-)46.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4225-02.277.01	मूल	11,92.53	11,92.53	91.96	(-)11,00.57	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
4225-02.277.05	मूल	1,50.00	1,50.00	1,11.33	(-)38.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में बेसिक सुविधाओं में सुधार						
4225-02.277.06	मूल	2,00.00	2,00.00	1,58.59	(-)41.41	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राजकीय आश्रम पद्धति छात्रावास में बेसिक सुविधाओं में सुधार						
4225-02.800.03	मूल	2,00.00	2,00.00	24.44	(-)1,75.56	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में मौलिक सुविधाओं का विकास						

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4515-00.102.04	मूल	9,82.00	9,82.00	8,81.50	(-)1,00.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण						
4515-00.796.01	मूल	1,00.00	1,00.00	60.33	(-)39.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजनान्तर्गत भूमि का अधिग्रहण						
4515-00.796.02	मूल	50.00	50.00	8.00	(-)42.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना						
4515-00.796.03	मूल	2,00.00	2,00.00	45.85	(-)1,54.15	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
मेरा गाँव , मेरी सड़क						
4700-06.796.03	मूल	1,00.50	1,00.50	58.11	(-)42.39	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण						

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4702-00.800.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	9,30.00	3,75.01	4,13.64	(+)38.63	दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹ 5,54.99 लाख के अभ्यर्पण भारत सरकार से कलस्टर योजनाओं के सापेक्ष केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण किए गए अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)5,54.99				
4711-01.796.03 सिविल निर्माण कार्य	मूल	1,50.00	1,50.00	37.01	(-)1,12.99	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5054-04.796.02 चालू कार्य	मूल	28,00.00	33,00.00	13,49.28	(-)19,50.72	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पूरक	5,00.00				
5054-04.796.03 सड़कों/भवनों/पुलों हेतु भूमि अधिग्रहण	मूल	2,20.00	2,20.00	1,11.03	(-)1,08.97	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
5055-00.800.03	मूल	10.00	10.00	3.33	(-)6.67	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
देहरादून में चालक परीक्षण संस्थान में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शूल्क रहित प्रशिक्षण						
6801-05.796.97	मूल	3,38.00	3,38.00	1,06.75	(-)2,31.25	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
बाह्य सहायतित योजना						

(11) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-02.104.03	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
राजकीय बहुधन्धी संस्थानों के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/ सुदृढीकरण						

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-02.105.03 इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौरी, पौड़ी को सहायक अनुदान	मूल	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-02.105.05 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-03.102.03 इंडोर हाल व होस्टल का निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
4202-03.796.04 प्रादेशिक विकास दल	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4202-04.800.02	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जनमिलन केन्द्रों / सांस्कृतिक भवनों का निर्माण						
4210-03.796.03	मूल	22.80	22.80	0.00	(-)22.80	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
नर्सिंग कॉलेज की स्थापना						
4210-03.796.04	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
नर्सिंग स्कूल की स्थापना						
4225-02.190.03	मूल	51.00	51.00	0.00	(-)51.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
स्वरोजगार शेर कैपिटल (49 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)						

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति	
4225-02.800.05 अनुसूचित जाति के लिए कल्याण निदेशालय	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	वर्ष 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे । सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
4403-00.101.04 पशु/ जानवर सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
4515-00.102.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	मूल	50.01	9.02	0.00	(-)9.02	वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे । सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017) ।
	पुनर्वि.	(-)40.99				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4702-00.796.05 डीप बोरिंग हेतु सहायक अनुदान	मूल	27.50	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
	पुनर्वि.	(-)27.50				
4801-05.190.97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5055-00.190.03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम को बस स्टैण्ड निर्माण हेतु सहायता अनुदान	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

(12) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4408-01.800.03 गोदामों का निर्माण	मूल	0.01	41.00	40.99	(-)0.01	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2017 को ₹ 40.99 लाख की वृद्धि गोदामों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई
	पुनर्वि.	40.99				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभियुक्ति
4711-01.103.01 केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल	50.00	50.00	8,01.69	(+)7,51.69	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)
5054-04.796.01 नवीन कार्य	मूल	30.00	30.00	32.11	(+)2.11	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2017)

परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2016 - 2017 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1	03	2013 - मंत्रिपरिषद्	4,99,93
2	04	2014 - न्याय प्रशासन	5,41
3	06	2070- अन्य प्रशासनिक सेवार्ये	14,46
4	06	2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	1,76,75
5	07	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	11,14,96
6	09	2051- लोक सेवा आयोग	2,04,86
7	10	2055 - पुलिस	6,24,40
8	11	2202 - सामान्य शिक्षा	18,41,47
9	11	2203- तकनीकी शिक्षा	8,40,16
10	11	2204- खेल कूद तथा युवा सेवार्ये	2,11,48
11	11	2205- कला तथा संस्कृति	1,33,45
12	12	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,63,56
13	12	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,00,00
14	13	2215- जल पूर्ति तथा सफाई	20,50,57
15	13	2217- शहरी विकास	1,33,33
16	15	2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6,05,99
17	15	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7,11
18	15	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,08,77
19	17	2401 - फसल कृषि कर्म	2,50,00
20	19	2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	96
21	22	3054- सड़क तथा सेतु	27,22
22	22	5054 सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय	77,74,09
23	23	2851 - ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	37,78,20
24	23	2853- अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	9,85
25	26	3452 पर्यटन	1,00,00
26	27	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन	13,12,18
27	28	2404 - डेरी विकास	1,65,71
28	28	2405- मत्स्य पालन	56
29	28	4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	15,00
TOTAL			2,27,70,43

परिशिष्ट- II
(सन्दर्भ: - पृष्ठ सं० - xiii तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण ।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट	प्राक्कलन	
			राजस्व (₹ हजार में)	पूँजीगत
1	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	...		25,00,00
2	18-सहकारिता
3	20-सिंचाई एवं बाढ़
4	22-लोक निर्माण कार्य
5	25-खाद्य	...		23,50,00,00
6	29-औद्योगिक विकास	...		15,00,00
	योग	...		23,90,00,00

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+) कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
...	27,80,49	...	(+)2,80,49
...	4,50,87	...	(+)4,50,87
86,48	34,19,58	(+)86,48	(+)34,19,58
...	50,61,03	...	(+)50,61,03
...	15,18,46,43	...	(-)8,31,53,57
...	(-)15,00,00
86,48	16,35,58,40	(+)86,48	(-)7,54,41,60

परिशिष्ट -III

संदर्भ: - टिप्पणी (6), अनुदान-20)

उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2016-17	31 मार्च 2017 को अंत शेष (नामे + जमा - वसूली) नामे (+) जमा (-)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचंत स्टॉक	(+)83,28.48	(+)65.33	...	(+)65.33	68.64	(+)83,25.17
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)10.44	(+)1.21	(-)0.05	(+)1.16	0.10	(-)9.38
कार्यशाला उचंत	(+)4,36.51	(+)4,36.51
योग	(+)87,54.55	(+)66.54	(-)0.05	(+)66.49	68.74	(+)87,52.30
2702-लघु सिंचाई						
उचंत स्टॉक
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
कार्यशाला उचंत
योग

परिशिष्ट -IV

(सन्दर्भ: टिप्पणी (13), अनुदान 20)

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूंजी प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2016-17	31 मार्च 2017 को अंत शेष (नामे + जमा - वसूली) नामे (+) जमा (-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)2,68,38.45	(+)33,28.32	(-)0.10	(+)33,28.22	33,31.30	(+)2,68,35.37
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)61,06.86	(+)33.89	...	(+)33.89	52.32	(+)60,88.43
योग	(+)3,29,45.31	(+)33,62.21	(-)0.10	(+)33,62.11	33,83.62	(+)3,29,23.80

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-)7.82	(-)7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
योग	(-)7.82	(-)7.82

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)6,88.64	(+)64.74	(-)1,71.27	(-)1,06.53	35.96	(+)5,46.15
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)13.66	(-)13.66
कार्यशाला उचंत
योग	(+)6,74.98	(+)64.74	(-)1,71.27	(-)1,06.53	35.96	(+)5,32.49

परिशिष्ट -V

(सन्दर्भ: टिप्पणी (13), अनुदान-22)

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को आदि शेष (नामे+) (जमा-)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2016-17	31 मार्च 2017 को अंत शेष (नामे + जमा) - वसूली
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+) 1,64,44.90	(+) 26,80.61	(-) 5.54	(+) 26,75.07	27,84.78	(+) 1,63,35.19
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,60,42.39	(+) 22,92.69	(-) 1,30.28	(+) 21,62.41	22,76.25	(+) 2,59,28.55
योग	(+) 4,24,87.29	(+) 49,73.30	(-) 1,35.82	(+) 48,37.48	50,61.03	(+) 4,22,63.74

© भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>